[2022] 7 एस. सी. आर 792

एम. एच. डी. ए. आर. आई. एफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू.

वी.

राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

(समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) नं. 286-287 2012 का)

में

(आपराधिक अपील सं। 98-99 2009)

नवंबर 3,2022

[उदय उमेश ललित, सीजेआई, एस. रवींद्र भाट

और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

समीक्षा याचिका-मृत्युदंड-लाल किले के अंदर गोलीबारी की घटना में सेना के तीन जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और अपनी जान गंवा दी-समीक्षा याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई-उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा की पुष्टि की गई-याचिकाकर्ता

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पसंदीदा अपील-चुनौती को अस्वीकार कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को मृत्यु के पुरस्कार की पुष्टि की गई थी-समीक्षा याचिकाएं डिवीजन बेंच के समक्ष खारिज कर दिया गया-समीक्षा याचिकाकर्ता द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका भी खारिज कर दी गई-इसके बाद रिट याचिका को इस आधार पर प्राथमिकता दी गई कि मौत की सजा के फैसले से उत्पन्न मामलों में समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की बेंच द्वारा खुली अदालत में की जाए-समीक्षा पर, अभिनिर्धारित किया गयाः इन समीक्षा याचिकाओं में उठाई गई चुनौती इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता, विश्वसनीयता और प्रकटीकरण विवरण की स्वीकार्यता, बरामद गोला-बारूद की प्रासंगिकता और समीक्षा याचिकाकर्ता के पुनर्वास की संभावना जैसे आधारों पर थी-सी. डी. आर. के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो किसी भी उपयुक्त प्रमाण पत्र के बिना था, को छोड़ दिया जाना चाहिए-इसके बाद भी।

ऐसी परिस्थितियों को सीधे सी. डी. आर. के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए, अभिलेख पर अन्य परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती हैं और साबित करती हैं।

किसी भी संदेह से परे, विचाराधीन अपराध में समीक्षा याचिकाकर्ता की संलिप्तता-समीक्षा क्षेत्राधिकार में, तथ्य के मुद्दों पर इस तरह के प्रकटीकरण बयान की स्वीकार्यता के बारे में प्रश्नों में प्रवेश करना संभव नहीं होगा-यह प्रस्तुत करना कि गोला-बारूद की बरामदगी या 'ए' की मुठभेड़ समीक्षा याचिकाकर्ता के प्रकटीकरण बयान से जुड़ी नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही नहीं है-रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है

जिसे समीक्षा याचिकाकर्ता के पक्ष में एक शमनकारी परिस्थिति के रूप में लिया जा सकता है-यह सुझाव कि प्रतिशोध और पुनर्वास की संभावना है, किसी से नहीं बनाया गया है और किसी द्वारा समर्थित नहीं है।

792 एम. एच. डी. एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

समीक्षा-समीक्षा अधिकार क्षेत्र में, प्रकटीकरण कथन की स्वीकार्यता के संबंध में प्रश्नों में प्रवेश करना संभव नहीं होगा। तथ्यों के मुद्दे।

पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. पुनरीक्षण याचिकाओं में चुनौती मुख्य रूप से चार आधारों पर दी जाती हैः

(क) संबंधित न्यायालयों ने कॉल की अनुमति देने में त्रुटि की।

साक्ष्य में स्वीकार किए जाने वाले अभिलेख, एक के अभाव में

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के तहत उपयुक्त प्रमाण पत्र

(ख) समीक्षा याचिकाकर्ता के प्रकटीकरण बयानों को खराब व्यवहार के कारण अस्वीकार्य माना जाना चाहिए।

उनकी वास्तविक गिरफ्तारी और उनकी औपचारिक गिरफ्तारी के बीच की दरम्यानी रात के दौरान।

(ग) गोला-बारूद की बरामदगी या एक अबू शमल की मुठभेड़, जिसे नई दिल्ली के बाटला हाउस में याचिकाकर्ता का साथी बताया गया था, को मुठभेड़ से नहीं जोड़ा जा सकता था।

समीक्षा याचिकाकर्ता का प्रकटीकरण विवरण।

(घ) प्रतिशोध और पुनर्वास की कोई भी संभावना

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता, या कि वह के लिए एक खतरा बना रहेगा

समाज, न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया गया था। [पैरा 12] [807-जी; 808 ए-बी]

2. चूंकि तत्काल मामला मौत की सजा देने से संबंधित है, इसलिए इस पुनर्विचार याचिका पर अनवर पी. वी. और अर्जुन पंडितराव मामले में इस अदालत द्वारा लिए गए फैसलों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। नतीजतन, किसी को वर्तमान उद्देश्यों के लिए,

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी (4) के तहत उपयुक्त प्रमाण पत्र। क्रम संख्या में उल्लिखित परिस्थितियाँ। ' एच 'और' जे 'बन जाते हैं अत्यंत कमजोर क्योंकि पीडब्लू 39 और 41 द्वारा मोबाइल को प्राप्त कॉल का पता लगाना केवल सीडीआर के माध्यम से ही संभव था। ये

इसलिए परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। 'एच' और 'जे' परिस्थितियों को छोड़ने के बाद भी, जो सीधे तौर पर अभियोजन द्वारा भरोसा किए गए सी. डी. आर. के लिए जिम्मेदार थे, दूसरे [2022] 7 एस. सी. आर.

अभिलेख पर स्थित परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती हैं और इससे परे साबित होती हैं।

प्रश्नगत अपराध में पुनरीक्षण याचिकाकर्ता की संलिप्तता पर कोई संदेह। [पारस 23-26] [822-D-E, H; 823-A]

अनवर पी. वी. वी. पी. के. बशीर और अन्य। (2014) 10 एससीसी 473: [2014] 11 एस. सी. आर. 399 और अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम। कैलाश कुषाणराव गोरंट्याल और अन्य। (2020) 7 एससीसी

1- पर भरोसा किया।

3. आधार 'बी' और 'सी' विशुद्ध रूप से तथ्यात्मक प्रकृति के हैं। प्रकटीकरण कथन, वास्तव में, माना गया था

निम्नलिखित न्यायालयों और इस न्यायालय द्वारा साबित किया गया। समीक्षा अधिकार क्षेत्र में, संबंधित प्रश्नों में प्रवेश करना संभव नहीं होगा।

यह सुझाव कि प्रतिशोध और पुनर्वास की संभावना है, रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री से नहीं बनाया गया है और इसका समर्थन नहीं किया गया है। दूसरी ओर, रिकॉर्ड से स्पष्ट होने वाली भयावह परिस्थितियाँ और विशेष रूप से यह तथ्य कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सीधा हमला हुआ था, पूरी तरह से उन कारकों से कहीं अधिक है जो दूर से भी हो सकते हैं। अभिलेख पर कम करने वाली परिस्थितियों के रूप में ध्यान में रखा गया। आधार (घ) के तहत इस तरह से अग्रिम प्रस्तुतिकरण किसी भी स्वीकृति के योग्य नहीं है और इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। [पैरा 30] [831-जी-एच; 832-ए-बी]

मोहम्मद. आरिफ उर्फ अशफाक बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2011) 13 एस. सी. सी. 621: [2011] 10 एस. सी. आर. 56; मो. आरिफ उपनाम

अशफाक बनाम। पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य।

(2014) 9 एससीसी 737: [2014] 11 एस. सी. आर. 1009; मो. आरिफ उर्फ अशफाक बनाम। पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और ओआरएस। (2019) 9 एससीसी 404; विक्रम सिंह उर्फ विक्की वालिया एमओएचडी।

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

& एन. आर. वी. पंजाब और अन्न राज्य। (2017) 8 एससीसी 518:

[2017] 8 एससीआर 177; अक्षय कुमार सिंह बनाम। राज्य (एन. सी. टी.

दिल्ली) (2020) 3 एस. सी. सी. 431; शफी मोहम्मद बनाम। राज्य

हिमाचल प्रदेश (2018) 2 एस. सी. सी. 801; बसंत

संपत डुपारे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2017) 6 एससीसी

631 : [2017] 3 एस. सी. आर. 850; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) v. नवजोत

संधू उर्फ अफसान गुरु (2005) 11 एस. सी. सी. 600: [2005] 2 पूरक। एस. सी. आर. 79; टोमासो ब्रूनो और एनर। वी. उत्तर प्रदेश राज्य

प्रदेश (2015) 7 एससीसी 178: [2015] 1 एससीआर 721 और

सोनू उर्फ अमर बनाम। हरियाणा राज्य (2017) 8 एससीसी 570

: [2017] 8 एस. सी. आर. 151 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 11 एससीआर 1009

पैरा 7

संदर्भित किया गया है

(2019) 9 एस. सी. सी. 404

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[2017] 8 एससीआर 177

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

(2020) 3 एस. सी. सी. 431

संदर्भित किया गया है

पैरा

14

[2014] 11 एससीआर 399

उस पर भरोसा करें

पैरा

15

(2020) 7 एससीसी 1

उस पर भरोसा करें

पैरा

15

[2005] 2 पूरक। एससीआर 79

संदर्भित किया गया है

पैरा

17

[2015] 1 एससीआर 721

संदर्भित किया गया है

पैरा

19

[2017] 8 एससीआर 151

संदर्भित किया गया है

पैरा

20

(2018) 2 एस. सी. सी. 801

संदर्भित किया गया है

पैरा

21

[2017] 3 एससीआर 850

संदर्भित किया गया है

29

अंतर्निहित न्यायनिर्णयः समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) नं.

287 आपराधिक अपील सं. 2012 में। 98-99 2009 से।

इस कंपनी के 10.08.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आपराधिक अपील सं। 98-99 2009 से।

सिद्धार्थ अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अभिनव सेखड़ी, अमर्त्य कर

विश्वजीत भाटी, सुश्री अर्शिया घोष, मोहम्मद। इरशाद हनीफ, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।

एस. वी. राजू, ए. एस. जी., सैरिका राजू, सुश्री बीनू टम्टा, सुश्री सुहासिन

सुश्री स्वाति घिल्डियाल, आशुतोष गाधे, अंशुमन सिंह, बी. वी. बाल दास, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, सीजेआई।

1. ये समीक्षा याचिकाएं आपराधिक अपील संख्या में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10.8.2011[1] के फैसले और आदेश से उत्पन्न होती हैं। 98-99 / 2009 .

2. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आईडी1 की रात को कुछ घुसपैठियों ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया जहां 7 राजपूताना राइफल्स की यूनिट ने

भारतीय सेना नई दिल्ली के लाल किले के अंदर तैनात थी। घुसपैठियों द्वारा की गई गोलीबारी में सेना के तीन जवान शहीद हो गए। इसके बाद घुसपैठिये लाल किले की पीछे की सीमा दीवार पर चढ़कर चले गए। इसके परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302,307,186,353,120-बी, 121,121-ए, 216 और 201 के साथ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25,27,54 और 59, विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 और 5 और आई. पी. सी. की धारा 420,468,471,474 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में नई दिल्ली के कोटवाली पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई। जाँचमे, वर्तमान समीक्षा याचिकाकर्ता के संलिप्तताकेँ सामने आनल गेल छल।

3. समीक्षा याचिकाकर्ता, जिस पर उक्त अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था, को निर्णय और दिनांक 31.10.2005 के आदेश के माध्यम से मौत की सजा सुनाई गई थी।

सत्र मामला संख्या में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली की अदालत द्वारा पारित। 1/2005 , 2/2005 , 5/2005 , 7/2005 , 8/2005 , 9/2005 , 10/2005 और 11/2005, जो वनाच्छादित एफ़. आई. आर. से उत्पन्न हुआ। मृत्यु का पुरस्कार

सजा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन थी।

4. इसके बाद इस मामले पर उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड संदर्भ संख्या 2/2005 में आपराधिक अपील संख्या के साथ विचार किया गया। 891 / 2005 , 892/2005 , 907/2005 , 927/2005 , 944-945 / 2005 , 946/2005 , 273/2006 और 504/2006। विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की गई थी उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 13.9.2007[3] के फैसले को देखा।

5. इसके बाद मामला आपराधिक के रूप में इस अदालत में पहुंचा।

अपील सं। 98-99 / 2009 पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के आग्रह पर। हालाँकि, इस अदालत द्वारा चुनौती को अस्वीकार कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को मौत की सजा के फैसले की पुष्टि दिनांक 10.8.2011 के फैसले के माध्यम से की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप तत्काल समीक्षा याचिकाएँ दायर की गई हैं।

1 मो. आरिफ उर्फ अशफाक बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2011) 13 एस. सी. सी. 621 2 "आई. पी. सी".

3 (2007) एससीसी ऑनलाइन डेल 1259 एमओएचडी।

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई]

6. तत्काल समीक्षा याचिकाएं शुरू में दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आई थीं और दिनांक 1 के आदेश द्वारा, समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। सुधारात्मक याचिका (सीआरएल) नं. 99-100 / 2013 पुनरीक्षण याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में प्रभाग द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को चुनौती देने की मांग की गई अपीलों के साथ-साथ पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने में इस न्यायालय की पीठ। हालाँकि, इस अदालत ने 23.1.2014 के आदेश के माध्यम से सुधारात्मक याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था।

7. इसके तुरंत बाद, रिट याचिका (सीआरएल)। नं. 77/2014 समीक्षा याचिकाकर्ता द्वारा अन्य बातों के साथ प्रस्तुत करते हुए पसंद किया गया था कि समीक्षा याचिकाएं

मृत्युदंड दिए जाने से उत्पन्न होने वाले मामलों की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ और खुले न्यायालय में की जाए। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने दिनांक 1 के फैसले में निष्कर्ष निकाला कि उन सभी मामलों में जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी, ऐसे मामलों को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। पैराग्राफ 39 में प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार थीं:

" 39. अब से, उन सभी मामलों में जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों में मौत की सजा सुनाई गई है, केवल तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ ही इसकी सुनवाई करेगी। यही कारण है कि ऊपर उल्लिखित सजा प्रक्रिया की अनिश्चितताओं को देखते हुए, कम से कम तीन न्यायिक रूप से प्रशिक्षित दिमागों को मौत की सजा पर एक दोषी की यात्रा के अंतिम चरण में अपने दिमाग को लागू करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, हम इस बात के लिए राजी नहीं हैं कि कम से कम 5 विद्वान न्यायाधीश मौत की सजा के सभी मामलों की सुनवाई करें। इसके अलावा, हम श्री लूथरा की इस दलील से सहमत हैं कि समीक्षा की सुनवाई आम तौर पर केवल उसी पीठ द्वारा की जाती है जिसने मूल रूप से आपराधिक अपील की सुनवाई की थी। यह स्पष्ट रूप से इस कारण से है कि एक समीक्षा सफल होने के लिए, रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटियों को खोजना होगा। यह स्वयंसिद्ध है कि जिन विद्वान न्यायाधीशों पर गलती करने का आरोप है, उन्हें इस तरह की त्रुटि को सुधारने के लिए अब बुलाया जाना चाहिए। इसलिए हम श्री वेणुगोपाल की इस याचिका को खारिज करते हैं कि मौत की सजा में समीक्षा चरण में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को जोड़ा जाए।

मामले "।

8. एक सवाल अभी भी पैदा हुआः क्या उन मामलों में जहां समीक्षा याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी थीं जब उपरोक्त निर्णय लिया गया था

इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया था, क्या वहाँ हो सकता है

4 मोहम्मद. आरिफ उर्फ अशफाक बनाम पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य। , (2014) 9 एससीसी 737 [2022] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामले की सुनवाई और पुनर्विचार याचिका पर फिर से सुनवाई की जाए? एक बाद में

शीर्षक पीठ ने अपने दिनांकित 19.1.20165 के आदेश में निम्नलिखित टिप्पणी कीः -

" 9. इसलिए परिस्थितियों में और विशेष रूप से तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता शायद एकमात्र व्यक्ति है जो पीड़ित होगा

एक खुली अदालत की सुनवाई के अधिकार से इनकार, हम इच्छुक हैं

पुनरीक्षण पर निर्णय को संशोधित करें और निर्देश दें कि याचिकाकर्ता

समीक्षा की बर्खास्तगी को फिर से खोलने की मांग करने का भी अधिकार होगा

आज से एक महीने के भीतर खुली अदालत में सुनवाई के लिए याचिकाएं।

हम याचिकाकर्ता को ऐसे सभी अतिरिक्त आधारों को उठाने की अनुमति देते हैं।

उक्त पुनरीक्षण याचिका का समर्थन जो कानूनी रूप से अनुमत हो सकता है

उसे "।

9. इस पृष्ठभूमि में तत्काल समीक्षा याचिकाओं को पहले सूचीबद्ध किया गया है।

आर रिहर्सल।

10. इस स्तर पर, हम कुछ परिस्थितियों को निर्धारित कर सकते हैं जो

उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा साबित किया गया है। में।

राफ़ नोस। 182-191 उस निर्णय की, जो वर्तमान में समीक्षाधीन है,

एस को निम्नानुसार देखा गयाः -

" 182. उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों को साबित किया हैः

अपीलार्थी के खिलाफः

" (a) 22-12-2000 की रात को लाल किले के अंदर गोलीबारी की घटना हुई थी जब कुछ घुसपैठिये अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे

लाल किले का वह क्षेत्र जहाँ 7 वीं राजपूताना राइफल्स की इकाई

भारतीय सेना तैनात थी।

(ख) गोली चलाने की उस घटना में घुसपैठियों ने गोली चला दी थी उनके एके-56 राइफलों से अंधाधुंध रूप से जिसके परिणामस्वरूप

गोलीबारी में सेना के तीन जवान घायल हो गए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी।

(ग) सेना के तीन जवानों की मौत हत्या थी।

(घ) सेना के त्वरित प्रतिक्रिया दल ने घुसपैठियों पर तुरंत जवाबी गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप घुसपैठिये पीछे की ओर चढ़कर घटना स्थल से भाग गए। रिंग रोड की ओर लाल किले की चारदीवारी और

जब सेना के लोगों द्वारा घटना स्थल की तलाशी ली गई थी

कई असॉल्ट राइफल से दागे गए कारतुस के मामले बरामद किए गए

घटना का स्थान।

डी। आरिफ उर्फ अशफाक बनाम पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य। , (2019) 9 एससीसी ओएचडी।

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई]

(ई) सैन्य शिविर के अंदर गोलीबारी करने वाले घुसपैठियों के वहां से भागने के तुरंत बाद, किसी ने बीबीसी के दो संवाददाताओं के टेलीफोन पर कॉल किए।

जिनमें से एक श्रीनगर में तैनात था और दूसरा बी. बी. सी. के दिल्ली कार्यालय में तैनात था और फोन करने वाले ने उन्हें लाल किले के अंदर गोलीबारी की घटना के बारे में सूचित किया था और उस घटना की जिम्मेदारी भी ली थी और यह लश्कर-ए-तैयबा का काम था, जिसे अभियोजन पक्ष आतंकवाद के कृत्यों में लिप्त एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन होने का दावा करता है।

हमारा देश।

(छ) जब पुलिस वालों ने दोषियों के बारे में कुछ सुराग मिलने की उम्मीद में लाल किले के आसपास तलाशी ली तो उन्हें लाल किले के बाहर रिंग रोड की ओर पीछे की ओर चारदीवारी के पास एक कागज का टुकड़ा मिला और उस कागज के टुकड़े पर एक मोबाइल फोन नंबर 9811288510 लिखा हुआ था। (ज) लाल किले के अंदर गोलीबारी की घटना के तुरंत बाद बी. बी. सी. के दो संवाददाताओं (पीडब्लू 39 और 41) को फोन करने के लिए मोबाइल फोन नंबर 981128510 का उपयोग किया गया था और फोन करने वाले ने उस घटना की जिम्मेदारी ली थी और उन्हें सूचित किया था कि यह घटना लश्कर-ए-तैयबा का काम था।

गोलीबारी की घटना में शामिल होने का संदेह था 25-12-2000/26-12-2000 की रात को उसके कब्जे से एक पिस्तौल और कुछ जिंदा कारतुस बरामद किए गए, जिसके लिए उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था।

(जे) 2000 के मामले एफ. आई. आर. संख्या 688 में उनकी गिरफ्तारी के समय उनके कब्जे से 981128510 नंबर वाला एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था और यह वही मोबाइल नंबर था जिससे [2022] 7 एस. सी. आर. के लिए दो बी. बी. सी. संवाददाताओं को कॉल किए गए थे।

(के) उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी मोहम्मद। आरिफ उर्फ अशफाक ने लाल किले के अंदर गोलीबारी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और पुलिस को अपनी दूसरी घटना के बारे में भी बताया।

जी-73, बाटला हाउस, मुरादी रोड, ओखला, नई दिल्ली में छिपा हुआ और उसके खुलासे के अनुसार पुलिस उस गुप्त स्थान पर गई थी जहाँ उस घर के रहने वाले ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी थी और जब पुलिस दल ने गोलीबारी वापस की, तो वह व्यक्ति, जिसकी पहचान बाद में आरोपी मोहम्मद ने की। आरिफ

उर्फ अशफाक उर्फ अबू शामल उर्फ फैजल की मौत पुलिसकर्मियों द्वारा की गई गोलीबारी के कारण हुई। घर नं. जी 73, जहाँ मुठभेड़ हुई थी, वहाँ से एक ए. के.-56 राइफल और कुछ जिंदा कारतुस और हथगोले बरामद किए गए। (1) अभियुक्त मोहम्मद। पुलिस हिरासत में आरिफ उर्फ अशफाक

उसने पुलिस को यह भी बताया था कि घटना के बाद विजय घाट के पास एक असॉल्ट राइफल फेंकी गई थी। पुलिस ने पहले ही आईडी1 की सुबह विजय घाट से एक एके-56 राइफल बरामद कर ली थी। अभियुक्त मोहम्मद। इस प्रकार आरिफ उर्फ अशफाक को विजय घाट पर उस एके-56 राइफल की उपलब्धता के बारे में जानकारी थी। (एम) अभियुक्त मोहम्मद। आरिफ उर्फ अशफाक ने लाल किले के पीछे से एक एके-56 राइफल और कुछ गोला-बारूद भी बरामद किया था।

(एन) अभियुक्त मोहम्मद। आरिफ उर्फ अशफाक ने भी अपने कंप्यूटर के पीछे कहीं से तीन हथगोले बरामद किए थे।

पुलिस हिरासत में रहते हुए उसके द्वारा दिए गए एक अन्य प्रकटीकरण बयान के अनुसार 1-1-2001 पर ओखला में केंद्र।

(0) जब घुसपैठियों के वहां से भागने के बाद सेना के जवानों द्वारा घटना स्थल से बरामद किए गए असॉल्ट राइफल से दागे गए कार्ट्रिज के मामलों की बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा एके-56 राइफल के साथ जांच की गई, जो आरोपी मोहम्मद के कहने पर बरामद की गई थी। लाल किले के पीछे से आरिफ उर्फ अशफाक 26-12-2000 पर और एके-56 राइफल जो थी

23-12-2000 पर विजय घाट से बरामद बैलिस्टिक विशेषज्ञ (पीडब्लू 202) ने पाया कि ओएचडी से बरामद राइफल से असॉल्ट राइफल से दागे गए कुछ कार्ट्रिज केस दागे गए थे।

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई]

लाल किले के पीछे और कुछ दूसरी राइफल से दागे गए थे lh विजय घाट से बरामद किया गया था।

(पी) अपीलार्थी-अभियुक्त मोहम्मद। आरिफ उर्फ अशफाक एक पाकिस्तानी नागरिक था और उसने अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था।

(प्र) भारत में अवैध प्रवेश करने के बाद अपीलार्थी-अभियुक्त मोहम्मद। आरिफ उर्फ अशफाक विभिन्न स्थानों पर रहने के दौरान अपने संपर्क में आने वाले लोगों को बता रहा था कि वह जम्मू का निवासी है और उसका व्यवसाय कर रहा था।

जबकि, वास्तव में, उनका ऐसा कोई व्यवसाय नहीं था और वह हवाला चैनलों के माध्यम से पैसे इकट्ठा कर रहे थे।

(आर) अभियुक्त मोहम्मद। आरिफ उर्फ अशफाक ने जाली नोट हासिल किया था।

राशन कार्ड, एक्स. पीडब्लू-164/ए जिसमें न केवल उल्लिखित उनके घर का नंबर उनका सही पता था, बल्कि उनका नाम भी था।

उसमें दिखाई गई उनकी पत्नी रहमाना यूसुफ फारूकी नहीं थी। उसने अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस, एक्स. टी. भी जाली बनाया था। पीडब्लू-13/सी के साथ-साथ एक दस्तावेज़, एक्स्ट। पीडब्लू-13/ई गाजियाबाद के अपने आवासीय पते के साथ अपने नाम पर एक अन्य राशन कार्ड की फोटोकॉपी होने का तात्पर्य है, जहां वह कभी नहीं रहता था और उसने स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए गाजियाबाद परिवहन प्राधिकरण के साथ उस दस्तावेज़ को प्रस्तुत किया। शिक्षार्थी में ड्राइविंग लाइसेंस में भी उसने अपना आवासीय पता दिखाया था जहां वह वास्तव में कभी नहीं रहा था। उसने जो कुछ भी किया वह एक आतंकवादी के रूप में अपनी वास्तविक पहचान को छिपाना था जो अपने अन्य सहयोगी आतंकवादियों की मदद से आतंक फैलाने के उद्देश्य से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था, जिन्हें दुर्भाग्य से पुलिस पकड़ नहीं सकी और कुछ की मृत्यु हो गई, इससे पहले कि उन पर मुकदमा चलाया जा सके।

183. इन परिस्थितियों के अलावा, एक और परिस्थिति है कि एक संदेश को बी. एस. एफ. द्वारा प्रदर्शनी पी. डब्ल्यू.-162/ए के माध्यम से इंटरसेप्ट किया गया था और पी. डब्ल्यू. 162 इंस्पेक्टर जे. एस. चौहान दिनांक 26-12-2000 द्वारा साबित किया गया था जिसमें एक विशिष्ट संदेश था।

अभियुक्त का संदर्भ। एक और परिस्थिति यह होगी कि अभियुक्त के पास आजीविका का कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं था और फिर भी उसने मेसर्स नजीर के खाता संख्या 32263962 वाले तीन खातों, अर्थात् स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रिंडलेज़ बैंक, कनॉट प्लेस (ए. एन. जेड. ग्रिंडलेज़ बैंक के रूप में जाना जाता है) में आई. डी. 1 जमा किए।

& सन्स, बिलाल अहमद कावा का खाता संख्या 28552609 वाला स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रिंडलेज़ बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड [2022] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट फारूक अहमद कासिद का बैंक खाता संख्या 32181669 और रहमान यूसुफ फारूकी के खाते में कुछ राशि भी जमा की और उनके पास इन बड़ी राशि, उनके स्रोत या उनके वितरण का कोई विवरण नहीं था। अंत में, अपीलार्थी ने एक

उनके प्रवेश के बारे में काल्पनिक और पूरी तरह से गलत व्याख्या भारत में और रॉ के सदस्य होने के नाते और इस तरह, उन्होंने नैन सिंह (पीडब्लू 20) के साथ बातचीत की।

184. हम उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषपूर्ण परिस्थितियों के बारे में निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हैं। उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर, उच्च

अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपीलकर्ता आईडी1 की रात को लाल किले (लाल किला) के अंदर गोलीबारी की घटना के लिए जिम्मेदार था, जिसके परिणामस्वरूप सेना के तीन सैनिकों की मौत हो गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यह अपीलार्थी और मृतक अबू शामल उर्फ फैजल सहित कुछ अन्य आतंकवादियों के बीच सुनियोजित साजिश का परिणाम था, जो हाउस नं. जी-73, बाटला हाउस, मुरादी रोड, ओखला, नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि यह के इशारे पर था

अपीलकर्ता कि पुलिस उस स्थान पर पहुँच सकती है।

185. उच्च न्यायालय आगे इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि यह एक व्यवस्थित तरीके से था कि अपीलार्थी अवैध रूप से भारत आया और सामूहिक विनाश के लिए अत्यधिक परिष्कृत हथियार और गोला-बारूद एकत्र किया। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों के साथ हमले के लिए लाल किले का चयन किया, क्योंकि लाल किला भारत के लिए राष्ट्रीय महत्व का स्थान है। उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी दर्ज किया है कि चुना गया हमला सेना के शिविर पर था जो राष्ट्रीय महत्व के इस स्मारक की रक्षा के लिए वहां तैनात था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि यह भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का कार्य था। यह भी माना जाता है कि

सहयोगी, जिनके साथ अपीलार्थी ने प्रवेश किया था

साजिश ने सेना के शिविर पर हमला किया था, जिससे पता चलता है कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश थी, विशेष रूप से, क्योंकि उस हमले में ए. के.-47 और ए. के.-56 राइफलों और हथगोलों जैसे परिष्कृत हथियारों का इस्तेमाल किया गया था।

186. उच्च न्यायालय ने यह भी ध्यान दिया कि युद्ध छेड़ने के संबंध में इस पहलू पर विद्वान वकील ओ. एच. डी. द्वारा तर्क भी नहीं दिया गया था।

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई]

बी, 121-ए, 121 आई. पी. सी., धारा 120-बी आई. पी. सी. और धारा 468/471/474 आई. पी. सी. के साथ पढ़ा जाता है और इसके तहत अपराध भी होते हैं। आईपीसी की धारा 186/353/120-बी। उसे विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया था, क्योंकि यह था

साबित किया कि अपीलार्थी, एक विदेशी, ने क्षेत्र में प्रवेश किया था

आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना भारत और

निकासी। इसी तरह, अपीलार्थी को भी दोषी ठहराया गया था

शस्त्र अधिनियम के साथ-साथ विस्फोटक के तहत अपराध पिस्तौल के साथ पाए जाने के कारण पदार्थ अधिनियम और

जीवित कारतुस। 187. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर कानून अब तक तय हो चुका है। शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एस. सी. सी. 116 इस न्यायालय ने भरोसा करने के लिए निम्नलिखित परीक्षण तैयार किया

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार परः (एस. सी. सी पी. 185, पैरा 153)

" 153. ..... (1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझाया नहीं जाना चाहिए सिवाय इसके कि

कि अभियुक्त दोषी है, (3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और

प्रवृत्ति,

(4) उन्हें हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए सिवाय इसके कि

(5) सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि सुसंगत निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े। अभियुक्त की निर्दोषता के साथ और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

इवेटिया वी। गुजरात राज्य (1997) 7 एस. सी. सी. 156, राज्य (एन. सी. टी. एल्ही) बनाम। नवजोत संधू (2005) 11 एससीसी 600, विक्रमएनजीएच वी। पंजाब राज्य (2010) 3 एस. सी. सी. 56 और आफताब अहमद

असारी वी। उत्तरांचल राज्य (2010) 2 एस. सी. सी. 583 आदि।

8. यह ध्यान देने योग्य है कि आफताब के अंतिम उल्लिखित निर्णय में

हमाद अनासरी बनाम। उत्तरांचल राज्य (2010) 2 एस. सी. सी. 583

किया गया संरक्षण निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः (एस. सी. सी पी. 589 , पैरा 8-14)

" 13. ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का हो,

जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है

ड्रा, पहली बार में, पूरी तरह से स्थापित होना चाहिए। प्रत्येक

तथ्य को व्यक्तिगत रूप से और उसके बाद ही अदालत द्वारा साबित किया जाना चाहिए।

सभी सिद्ध के कुल संचयी प्रभाव पर विचार करना चाहिए

तथ्य, जिनमें से प्रत्येक अपराध के निष्कर्ष को मजबूत करता है। यदि एक साथ लिए गए सभी तथ्यों का संयुक्त प्रभाव है

अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने में निर्णायक, दोषसिद्धि

उचित होगा भले ही यह एक या अधिक हो सकता है

ये तथ्य अपने आप में निर्णायक नहीं हैं। द.

साबित परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक को बाहर कर दिया जाए

एक परिकल्पना को छोड़कर जिसे साबित करने की कोशिश की गई थी। लेकिन ऐसा होता है।

इसका मतलब यह नहीं है कि अभियोजन पक्ष का मामला सफल होने से पहले केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, इसे प्रत्येक को बाहर करना चाहिए

और अभियुक्त द्वारा सुझाई गई प्रत्येक परिकल्पना, चाहे जो भी हो

यह असाधारण और काल्पनिक हो सकता है।

14. सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अब तक पूरी नहीं हुई है

अभियुक्त की निर्दोषता और यह ऐसा होना चाहिए जो दिखाता हो कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर, कार्य किया गया होगा

अभियुक्त द्वारा। जहाँ एक श्रृंखला में विभिन्न लिंक होते हैं

स्वयं पूर्ण, फिर एक झूठी याचिका या एक गलत बचाव हो सकता है केवल अदालत को आश्वासन देने के लिए सहायता के लिए बुलाया जाए।

(जोर दिया गया)

89. न्यायालय ने आगे कहा कि इस सिद्धांत को लागू करते हुए,

प्राथमिक या बुनियादी कहे जाने वाले तथ्यों के बीच अंतर किया जाना चाहिए,

एक ओर, और तथ्यों का निष्कर्ष जिससे लिया जाना है

उन्हें, दूसरी तरफ। न्यायालय ने आगे उल्लेख किया किः (आफताब

हमाद अनासारी मामला (2010) 2 एस. सी. सी. 583, एस. सी. सी. पी. 590 , पैरा 15)

" 15. ..... इन निष्कर्षों या अनुमानों को तैयार करते हुए, न्यायालय ने प्राकृतिक घटनाओं के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना चाहिए, और

मानव आचरण और विशेष के तथ्यों के साथ उनके संबंध मामला "। एम. एच. डी.

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई]

विक्रम सिंह बनाम में की गई टिप्पणियों का भी यही प्रभाव है। पंजाब राज्य (2010) 3 एससीसी 56।

190. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि किसी मामले में पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है यह उस मामले की तुलना में अधिक है जहां प्रत्यक्ष गवाही या प्रत्यक्ष साक्ष्य, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा करने और अभियुक्त को दोषी ठहराने से पहले न्यायालय को खुद को पूरी तरह से संतुष्ट करना होगा कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं है और न ही कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण है। इसलिए न्यायालय को प्रत्येक सिद्ध परिस्थिति से निष्कर्ष निकालने के बारे में अपना मन बनाना चाहिए और इसके संचयी प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए। ऐसा करने में, न्यायालय को अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करना होगा कि वह काल्पनिक निष्कर्षों या अपने पूर्वाग्रहों पर आगे नहीं बढ़ रहा है और कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं हो सकता है।

अभियुक्त की ओर से अपराध को छोड़कर।

191. हम में तैयार किए गए सिद्धांतों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं

उपर्युक्त मामले और अभिनिर्धारित करें कि अभियोजन पक्ष था

अपीलार्थी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से और साथ ही संचयी रूप से उपर्युक्त परिस्थितियों को स्थापित करने में सफल। वास्तव में इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि अभियुक्त अपने विरुद्ध सिद्ध परिस्थितियों के आधार पर दोषी है, सभी स्थितियों के लिए आम तौर पर एक सार्वभौमिक परीक्षण लागू नहीं हो सकता है और न ही कोई मात्रात्मक परीक्षण लागू किया जा सकता है। कभी-कभी, अभियुक्त की ओर से अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए केवल कुछ ही परिस्थितियाँ उपलब्ध हो सकती हैं और कभी-कभी, भले ही बड़ी संख्या में परिस्थितियाँ साबित हों, वे पर्याप्त नहीं हो सकती हैं।

अभियुक्त की ओर से अपराध के निष्कर्ष तक पहुँचना। यह प्रत्येक व्यक्तिगत परिस्थिति की गुणवत्ता है जो भौतिक है और जो अनिवार्य रूप से साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। ऐसे मामलों में काल्पनिक कल्पना का कोई स्थान नहीं है। सिद्ध परिस्थितियों के आधार पर अपराध के निर्णय पर पहुंचने के लिए स्पष्ट और अकाट्य तर्क एक आवश्यक कारक होगा। हमारी राय में, वर्तमान मामला ऐसा है, जो आपराधिक न्यायशास्त्र के क्षेत्र में इस न्यायालय द्वारा अब तक तैयार किए गए सभी परीक्षणों को पारित करेगा।

11. इस मामले की कुछ अन्य विशेषताएँ, जैसा कि इस में उल्लेख किया गया है

टी, थेः

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संजीव श्रीवास्तव (पीडब्लू 22) द्वारा। उन्होंने साबित किया कि पीडब्लू-22/बी, सी और एफ प्रदर्शित करता है। पीडब्लू-22/एफ आरोपी की पत्नी रेहमाना के खाते के विवरण की एक प्रति है, जो बताती है कि 15 9-2000 से लेकर 14-12-2000 तक, विभिन्न तिथियों पर, 10,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,50,000,2,00,000 आदि नकद में जमा किए गए थे। जमा की गई कुल राशि रु। 5,53,500 . अपीलार्थी द्वारा इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि ये राशियाँ किस स्रोत से आई हैं।

XXX

XXX

XXX

153. एचडीएफसी खाते के साथ-साथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रिंडलेज़ बैंक की जमा पर्ची के साथ सबसे महत्वपूर्ण संबंध सामने आया। डॉ. एम. ए. अली (पीडब्लू. 216), एस. एस. ओ., सी. एफ. एस. एल., सी. बी. आई., नई दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर कहा कि अपीलार्थी के एच. डी. एफ. सी. बैंक के खाता खोलने के प्रपत्र, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रिंडलेज़ बैंक की 9 जमा पर्ची और रहमाना यूसुफ फारूकी के भारतीय स्टेट बैंक के खाते की जमा पर्ची पर भी अपीलार्थी की लिखावट थी। इससे एच. डी. एफ. सी. बैंक में खोले गए खाते के बारे में समस्या उत्पन्न होती है। उल्लेखनीय है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रिंडलेज बैंक में मेसर्स नजीर एंड संस, फारूक अहमद कासिद (ए-4) और बिलाल अहमद कावा (ए-18) के नाम पर तीन खाते थे, जिनमें खाता संख्या थी। 32263962 , 28552609 और क्रमशः 32181669। जांच एजेंसी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रिंडलेज़ बैंक से 9 नकद जमा प्राप्तियों सहित दस्तावेज एकत्र किए।

खाता संख्या के संबंध में भी दस्तावेज। 32263962 , 28552609 और 32181669। 9 नकद जमा पर्ची कथित रूप से असलम, सलीम खान, आर. के. ट्रेडर्स और राशिद के नाम पर हैं और ये सभी अपीलार्थी की लिखावट में साबित हुए हैं।

XXX

XXX

XXX

159. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री जैसवाल का तर्क कि नजीर अहमद कासिद (ए-3) और फारूक अहमद कासिद (ए-4) को पहले ही बरी कर दिया गया है, कोई एमओएचडी नहीं है।

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई]

परिणाम। हम इंगित कर सकते हैं कि बिल्कुल नहीं है

अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण या तो प्रतिपरीक्षा के माध्यम से

गवाहों के बयान या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनके बयान के माध्यम से कि ये सारी राशि कहाँ से आई थी और उन्होंने ऊपर उल्लिखित तीन खातों में भारी राशि क्यों जमा की।

रुपये 29,50,000 एक साधारण राशि नहीं है। इसके अलावा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी के पास एचडीएफसी बैंक में उसके खाते में 6 लाख रुपये हैं। इसके अलावा, रहमाना यूसुफ फारूकी को भारतीय स्टेट बैंक में उनके खाते में बहुत बड़ी राशि का भुगतान किया गया है। अपीलार्थी ने ये सारी राशियाँ कैसे प्राप्त कीं और कहाँ से,

ऐसे प्रश्न हैं जो किसी के अभाव में अनुत्तरित रहते हैं

स्पष्टीकरण और विशेष रूप से क्योंकि अपीलार्थी के पास आजीविका का कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं था। यह अभिनिर्धारित करना होगा कि अपीलार्थी भारी राशि का लेनदेन कर रहा था और उसके पास कोई धन राशि नहीं है।

इसके लिए स्पष्टीकरण। इसे निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए

अपीलार्थी के विरुद्ध दोषारोपण करने वाली परिस्थिति। खामोशी छा जाती है।

यह मुद्दा केवल उनके नापाक मंसूबों के बारे में बता रहा है।

160. यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र था।

पूरा तंत्र जो इस देश की संप्रभुता के खिलाफ काम कर रहा था। यह सब इस तथ्य से समर्थित था कि 9 जमा पर्ची, खाते खोलने के लिए बैंक फॉर्म, पर्ची के माध्यम से

हस्तलेखन विशेषज्ञ। इन सब से पता चलता है कि अपीलकर्ता अपने आवासीय पते सहित एक के बाद एक झूठ का सहारा लेकर आतंकवादी गतिविधियों का अपना जाल बुन रहा था। झूठे दस्तावेज़ "।

12. इन समीक्षा याचिकाओं में मुख्य रूप से चुनौती दी गई है -

आधारः

(क) संबंधित न्यायालयों ने उचित आदेश के अभाव में कॉल रिकॉर्ड को साक्ष्य में स्वीकार करने की अनुमति देने में त्रुटि की।

भारतीय साक्ष्य की धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र,

18726 .

(ख) समीक्षा याचिकाकर्ता के प्रकटीकरण बयानों को दुर्व्यवहार के कारण अस्वीकार्य माना जाना चाहिए।

साक्ष्य अधिनियम ", संक्षेप में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसकी वास्तविक गिरफ्तारी के बीच की दरम्यानी रात के दौरान

और उसकी औपचारिक गिरफ्तारी।

(ग) गोला-बारूद की बरामदगी या एक अबू की मुठभेड़।

नई दिल्ली के बाटला हाउस में याचिकाकर्ता का सहयोगी बताए गए शामल को समीक्षा याचिकाकर्ता के प्रकटीकरण बयान से जोड़ा नहीं जा सका।

(घ) समीक्षा के प्रतिशोध और पुनर्वास की कोई संभावना

याचिकाकर्ता, या कि वह समाज के लिए खतरा बना रहेगा,

अदालतों द्वारा विचार नहीं किया गया था।

13. दूसरी ओर, यह राज्य की ओर से प्रस्तुत किया जाता है, जो निर्णय से उत्पन्न होने वाले मामलों में भी समीक्षा याचिका का निपटारा करता है।

सजा बेहद सीमित होगी। रिलायंस को रखा गया है

विक्रम सिंह उर्फ विक्की वालिया में इस न्यायालय के निर्णय और

बनाम पंजाब राज्य और विशेष रूप से निम्नलिखित अनुच्छेदः

" 23. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि दायरा, परिधि और

समीक्षा क्षेत्राधिकार के मापदंड अच्छी तरह से परिभाषित हैं। आम तौर पर ए

आपराधिक कार्यवाही, समीक्षा आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता है अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि के आधार को छोड़कर। इसके अलावा, अनुच्छेद 137 के तहत इस न्यायालय को दी गई शक्ति व्यापक है और एक उचित मामले में एक प्रकट अन्याय को कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। समीक्षा आवेदन द्वारा एक आवेदक को अनुमति नहीं दी जा सकती है

अपील पर उन आधारों पर पुनः बहस करें जिन पर उस समय आग्रह किया गया था

आपराधिक अपील की सुनवाई। भले ही आवेदक सफल हो जाए

यह स्थापित करने में कि एक और दृष्टिकोण संभव हो सकता है

अभियुक्त की दोषसिद्धि या सजा जो समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। यह न्यायालय समीक्षा करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल तभी करेगा जब न्यायिक त्रुटि के कारण पहले के निर्णय में कोई स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती हो गई हो। एक त्रुटि स्पष्ट होनी चाहिए

रिकॉर्ड के सामने न्याय की विफलता की ओर ले जाता है आदेश के साथ पठित अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें

40 नियम 1. अभिलेख के सामने एक भौतिक त्रुटि प्रकट होनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है। "

14. रिलायंस को आगे इस न्यायालय के निर्णय पर रखा गया है-क्षय कुमार सिंह बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), जहां यह था।

इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गयाः -

7) 8 एस. सी. सी. 518 घ) 3 एस. सी. सी. 431 एम. ओ. एच. डी.।

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई]

" 7. इस पुनरीक्षण याचिका में, याचिकाकर्ता पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना करता है

निर्णय दिनांक 5-5-2017 [मुकेश बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2017)

6 एस. सी. सी. 1] हमारे समक्ष पुनरीक्षण याचिका में, याचिकाकर्ता ने

फिर से अभियोजन पक्ष के मामले के गुण-दोष पर हमला करने की मांग की और उस पर दिए गए निष्कर्ष जिनकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

8. यह अब समग्र नहीं है कि समीक्षा का दायरा सीमित है और

स्पष्ट त्रुटि के मामलों को छोड़कर समीक्षा पर विचार नहीं किया जा सकता है।

रिकॉर्ड के चेहरे पर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 137

सर्वोच्च न्यायालय को घोषित किसी भी फैसले की समीक्षा करने का अधिकार देता है।

9. उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 का आदेश 47 नियम 1 समीक्षा के साथ इस प्रकार हैः

" 1. न्यायालय अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है, लेकिन नहीं समीक्षा के लिए आवेदन पर दीवानी कार्यवाही में विचार किया जाएगा।

आदेश 47 के नियम 1 में उल्लिखित आधार को छोड़कर

संहिता, और एक आपराधिक कार्यवाही में, एक के आधार को छोड़कर अभिलेख के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि "।

उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, आपराधिक मामले में समीक्षा कार्यवाही की अनुमति केवल स्पष्ट त्रुटि के आधार पर दी जाती है।

रिकॉर्ड के चेहरे पर।

XXX

XXX

XXX

11. समीक्षा अपील की फिर से सुनवाई नहीं है। ए में

पुनरीक्षण याचिका, यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करे

और एक अलग निष्कर्ष पर पहुँचें। समीक्षा क्षेत्राधिकार का दायरा इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में विस्तृत रूप से विचार किया गया है

और सुस्थापित सिद्धांतों को समय-समय पर दोहराया गया है और

एक बार फिर.. "

15. तत्काल मामले में मूल प्रस्तुतिकरण, जैसा कि आगे बढ़ाया गया है

सिद्धार्थ अग्रवाल, समीक्षा की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील

ओनर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कॉल डेटा होने की स्वीकार्यता के बारे में हैआर. डी. एस. (सी. डी. आर.) (प्रदर्शनी पी. डब्ल्यू.-198/बी1-बी3), सी. डी. आर. (प्रदर्शनी पी. डब्ल्यू.-198/ई)

डी. आर. (प्रदर्शनी पीडब्लू-229/ए)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि के बल पर

अनवर पी. वी. बनाम इस न्यायालय द्वारा ग्रहण किया गया पी. के. बशीर और अन्य "। , के रूप में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय द्वारा अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुषाणराव गोरंट्याल और आई. डी. 1 मामले में पुष्टि की गई है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाणन सी. डी. आर. जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के लिए एक पूर्व-आवश्यकता होगी; कि इस अनिवार्य आवश्यकता का पूरी तरह से अनुपालन नहीं होने के कारण, पूर्व-उल्लिखित सी. डी. आर. अस्वीकार्य होंगे और उन्हें हर मोड़ पर विचार से वंचित किया जाना चाहिए। निवेदन का विस्तार यह है कि अभियोजन का पूरा आधार

इन सी. डी. आर. पर आधारित मामला और इस साक्ष्य को छोड़कर, शायद ही ऐसा कुछ हो जो विचाराधीन अपराध में याचिकाकर्ता की पहचान और संलिप्तता को साबित कर सके। 16. विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए नोट में दिए गए पहले आधार पर समीक्षा याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया निवेदन इस प्रकार हैः -

" A. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता

(i) अभियोजन मामले की केंद्रीय विशेषता समीक्षा के तहत संपूर्ण निर्णय ऐसी परिस्थितियाँ और निष्कर्ष हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (सी. डी. आर.) के विश्लेषण के बल पर तैयार किए गए हैं। विशेष रूप से, परिस्थिति एच, आई और जे इस मुद्दे से निपटते हैं।

(ii) मामले में 9811278510 ("8510") और 9811242154 ("2154") के कॉल विवरण रिकॉर्ड ("सीडीआर") का विश्लेषण शामिल है। अभियोजन मामला यह है कि पीडब्लू-229 एमसी शर्मा ने संबंधित जांच की

इन दो संख्याओं के सीडीआर।

• पीडब्लू-229 (खंड का @305-308। II)

(iii) 8510 के संबंध में, अभियोजन ने सीडीआर प्रस्तुत किया जो है - Ex.PW-198/B1-B3 (Vol.III का @57-59) जबकि 2154 अभियोजन ने CDR Ex.PW-198/E (Vol.III का @67-75) और Ex का उत्पादन किया है। पीडब्लू-229/ए (Vol.III का @48-52)। इनमें से कोई नहीं।

आई. ई. ए. में धारा 65 बी के तहत आवश्यक कोई भी प्रमाण पत्र हो।

(iv) नंबर 8510 (सिम कार्ड) कभी बरामद नहीं किया गया था और जिस हैंडसेट में इसका उपयोग 26.10.2000 से 14.11.2000 (IMEI "0240" के साथ समाप्त होता है) में किया गया था, वह भी बरामद नहीं किया गया था। कोई ग्राहक आवेदन प्रपत्र (सी. ए. एफ.) या कोई अन्य दस्तावेज नहीं जो इसे स्थापित करता हो।

स्वामित्व या अधिकार का उत्पादन किया गया था। याचिकाकर्ता को जानने वाले एक भी व्यक्ति को उसका मोबाइल नंबर देने के लिए स्केच नहीं किया गया था (इसके बावजूद)

10 (2020) 7 एससीसी 1 एमओएचडी।

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई]

कई की जाँच की जा रही है) [देखिए: पीडब्लू-20 (Vol.I का @12), पीडब्लू-31 (Vol.I का @4) पीडब्लू-37 (Vol.I का @50), पीडब्लू-56 (Vol.I का @60), पीडब्लू-232 (Vol.I I का @415)। पुलिस ने कॉल लॉग, संदेश आदि की जांच करने के लिए कभी भी उपकरण का उपयोग नहीं किया। (पीडब्लू-148 @96 का Vol.I) और

सभी निष्कर्षों की एकमात्र कड़ी कथित सी. डी. आर. है।

Vol.III)-द्वितीयक का अप्रमाणित द्वितीयक साक्ष्य साक्ष्य-2154 के सी. डी. आर. की सामग्री के संबंध में। यह S.65B IEA, S. 63/65 IEA के साथ-साथ S. 59 IEA के दांत हैं। यहाँ तक कि

अन्यथा, सी. डी. आर. की सामग्री पी. डब्ल्यू.-229 की मौखिक गवाही से अलग है, जबकि उच्चतम न्यायालय संकलन की मौखिक गवाही [@पैरा 97 (p.525) पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ा है।

याचिकाकर्ता से संबंधित निर्णयों और आदेशों का]

टोमासो ब्रूनो और एनर। वी. उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 7 एस. सी. सी. 178

(पारस 20-27)

(vi) S.65B IEA के तहत प्रमाणन स्वीकार्यता के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है।

सी. डी. आर. जैसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। कोई अनुपालन नहीं है

इस अनिवार्य आवश्यकता के साथ। इस प्रकार, सी. डी. आर. अस्वीकार्य हैं।

और अनिवार्य रूप से विचार से बाहर रखा जाना चाहिए।

17. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम नवजोत हू उर्फ अफसान गुरु में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों के साक्ष्य अधिनियम ए की धारा 65-बी (4) के तहत मूल्यवान प्रमाण पत्र के बिना कॉल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी:

" 148. यह श्री शांति भूषण द्वारा तर्क दिया जाता है, जो शौकत ने आरोप लगाया कि कॉल सेलुलर फोन से संबंधित है

कहा जाता है कि 9811573506 का उपयोग शौकत ने नहीं किया है। कानून की आवश्यकताओं के अनुसार साबित किया गया है और उनकी वास्तविकता संदेह में है। गिलानी और अफजल से संबंधित अन्य मोबाइल नंबरों से संबंधित कॉल रिकॉर्ड की भी यही आलोचना की जाती है। विद्वान वकील का यह तर्क है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी की उप-धारा (4) के तहत खंड (ए) में उल्लिखित विवरणों के साथ जारी प्रमाण पत्र के अभाव में -

(ग) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी को साक्ष्य में और किसी भी मामले में प्रासंगिक समय के दौरान कंप्यूटर के कामकाज से परिचित एक सक्षम गवाह की जांच के अभाव में और जिस तरीके से प्रिंटआउट लिए गए थे, यहां तक कि धारा 63 के तहत द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

स्वीकार्य नहीं है।

149. के प्रिंटआउट को साबित करने के लिए दो गवाहों से पूछताछ की गई

9811489429 अफजल को जिम्मेदार ठहराया गया है जो एक्सट में निहित है। पी-36/3 और निरीक्षक (विशेष प्रकोष्ठ) को संबोधित आवरण पत्र नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पीडब्लू 66 अतिरिक्त है। 36/5 . ग्राहक एस. ए. आर. गिलानी से संबंधित 9810081228 के कॉल विवरण इस प्रकार हैं -

एक्सट में निहित। 35/8 . उपरोक्त दो फोन नकद-कार्ड के आधार पर प्राप्त किए गए थे। उससे संबंधित आवरण पत्र और कुछ अन्य मोबाइल नंबरों पर भारती सेल्युलर लिमिटेड के सुरक्षा प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरे से संबंधित कॉल विवरण

मोहम्मद से संबंधित सेलफोन नंबर 9810693456 एक्स्ट है। 35/5 . ये दस्तावेज़ यानी एक्सट. 35 श्रृंखला पीडब्लू 35 द्वारा दायर की गई थी जो वह व्यक्ति है जिसने 17 तारीख के आवरण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे दिसंबर बियरिंग एक्सट। 35/1 . पीडब्लू 35 ने कहा कि "सभी कॉल विवरण कंप्यूटर से प्राप्त कम्प्यूटरीकृत पत्रक हैं"। उन्होंने स्पष्ट किया किः

" स्विच जो कंप्यूटर में बनाए रखा जाता है प्रत्येक टेलीफोन कॉल किए गए या प्राप्त किए गए टेलीफोन नंबर का संकेत प्राप्त करता है और उन्हें सर्वर को प्रदान करता है और यह सर्वर है जो किए गए या प्राप्त किए गए कॉल का रिकॉर्ड रखता है। यदि कॉल की जाती है और रिसीवर फोन नहीं उठाता है, तो सर्वर जो रूट का लूप बनाता है, वह कॉल करेगा।

इसे पंजीकृत न करें। "

जहाँ तक पीडब्लू 36 का संबंध है, उन्होंने अपनी कंपनी के महाप्रबंधक के हस्ताक्षरों की पहचान की जिन्होंने एक्स्ट पर हस्ताक्षर किए थे। पी-36 श्रृंखला। उन्होंने इस तथ्य की गवाही दी कि विशेष टेलीफोन एम. ओ. एच. डी. के कॉल विवरण।

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई]

उनके द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक प्रदर्शनों में संख्याएँ निहित थीं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन दोनों गवाहों को कॉल रिकॉर्ड की प्रामाणिकता या प्रविष्टियों के साथ संभावित छेड़छाड़ को लेकर कोई सुझाव नहीं दिया गया था, हालांकि तर्क इस आधार पर आगे बढ़े हैं कि मनगढ़ंत हो सकता था। इस तरह के तर्क के समर्थन में, Exts में प्रविष्टियों का दोहराव। 36/2 और यह कि कुछ स्थानों पर हैंडसेट के सेल आईडी और आई. एम. ई. आई. नंबर से संबंधित कुछ विसंगति थी, इंगित किया गया था।

बाहर निकलें। डुप्लिकेट प्रविष्टियों की उपस्थिति का तथ्य पीडब्लू 36 से अफसान गुरु की ओर से पेश वकील द्वारा तब सामने आया जब पीडब्लू 36 गवाह बॉक्स में था। डी. डब्ल्यू. 10, एक तकनीकी विशेषज्ञ, का साक्ष्य केवल इस प्रभाव के लिए था कि एक सिम को क्लोन करना संभव था

एक सिम प्रोग्रामर का साधन जो उसकी जानकारी में दिल्ली या कहीं और उपलब्ध नहीं था। उनका सबूत केवल एक जनरल का था।

प्रकृति एक सैद्धांतिक संभावना की परिकल्पना करती है न कि विशिष्ट उदाहरणों के संदर्भ में।

150. धारा 63 के अनुसार, द्वितीयक साक्ष्य का अर्थ है और इसमें अन्य बातों के अलावा, "यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतियां शामिल हैं जो अपने आप में सटीकता का बीमा करती हैं।

प्रतियों की, और प्रतियों की ऐसी प्रतियों के साथ तुलना "। धारा 65 किसी दस्तावेज़ की सामग्री के द्वितीयक साक्ष्य को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है यदि मूल ऐसी प्रकृति का है जो आसानी से नहीं हो सकता है।

चलने योग्य। यह विवाद में नहीं है कि कॉल रिकॉर्ड में निहित जानकारी विशाल सर्वर में संग्रहीत की जाती है जिसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने भी पैरा 276 में यही टिप्पणी की है। इसलिए, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा कंप्यूटर/सर्वर से लिए गए प्रिंटआउट और सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए प्रिंटआउट को एक गवाह के माध्यम से साक्ष्य में ले जाया जा सकता है जो प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर की पहचान कर सकता है या अन्यथा उसके व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर तथ्यों की बात कर सकता है। धारा 65-बी की आवश्यकताओं के अनुपालन के बावजूद, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता से संबंधित एक प्रावधान है, साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों, अर्थात् धारा 63 और 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं है। यह हो सकता है कि उप में विवरण वाला प्रमाण पत्र

धारा 65-बी की धारा (4) तत्काल मामले में दायर नहीं की गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, भले ही

कानून संबंधित प्रावधानों, अर्थात् धारा 63 और 65 में उल्लिखित परिस्थितियों में ऐसे साक्ष्य देने की अनुमति देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

151. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शांति भूषण ने तब तर्क दिया कि जिन गवाहों की जांच की गई है, वे कंप्यूटर के कामकाज से परिचित तकनीकी व्यक्ति नहीं थे, और न ही उन्हें कंप्यूटर के सर्वर में संग्रहीत विवरणों की व्यक्तिगत जानकारी है। हम इस तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं। दोनों गवाह कंपनियों के जिम्मेदार अधिकारी थे। संबंधित जिन्होंने इस तथ्य को अपदस्थ किया कि वे कंप्यूटर रिकॉर्ड से प्राप्त प्रिंटआउट थे। वास्तव में पीडब्लू 35 के साक्ष्य से पता चलता है कि वह कंप्यूटर प्रणाली से काफी परिचित है और

बिनि दिहुनथाइ। यदि विशिष्ट विवरण या प्रिंटआउट के निर्माण के विशिष्ट सुझाव के बारे में कुछ सवाल थे, तो यह होगा

अभियोजन पक्ष की ओर से चीजों की जानकारी में सीधे तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाना अनिवार्य था। आर. वी. के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की निम्नलिखित टिप्पणियां। शेफर्ड 1993 एसी 380 काफी उपयुक्त हैंः (सभी ई. आर. पी. 231 बी-सी)

" यह दिखाने का बोझ उठाने के लिए साक्ष्य की प्रकृति कि कंप्यूटर का कोई अनुचित उपयोग नहीं किया गया है

और यह कि यह ठीक से काम कर रहा था, अनिवार्य रूप से मामले-दर-मामले अलग होगा। साक्ष्य को मामले की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। मुझे संदेह है कि शायद ही कभी किसी विशेषज्ञ को बुलाने की आवश्यकता होगी और अधिकांश मामलों में एक गवाह को बुलाकर बोझ उठाना संभव होगा। कंप्यूटर के संचालन से परिचित यह जानने के अर्थ में कि कंप्यूटर को क्या करने की आवश्यकता है और कौन कह सकता है

कि यह इसे ठीक से कर रहा है "।

इस तरह का विचार ब्रिटेन में पुलिस और आपराधिक अधिनियम, 1984 की धारा 69 में अधिक कड़े प्रावधान के बावजूद भी व्यक्त किया गया था, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से कंप्यूटर रिकॉर्ड के प्रमाण के संबंध में साक्ष्य देने का सकारात्मक दायित्व था। हम श्री गोपाल सुब्रमण्यम के इस कथन से सहमत हैं कि भारतीय कानून के तहत अभियोजन का बोझ आर. वी. में निर्धारित बोझ से अधिक नहीं कहा जा सकता है। शेफर्ड 1993 एसी 380।

152. हालाँकि गवाहों को आवश्यक सुझाव नहीं दिए गए थे ताकि प्रस्तुत किए गए कॉल रिकॉर्ड की शुद्धता/वास्तविकता को बदनाम किया जा सके, हम आरोपी के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए बिंदुओं की स्वतंत्र रूप से जांच करना पसंद करेंगे। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, ऐसा ही एक विवाद एक्सट में डुप्लिकेट प्रविष्टियों की उपस्थिति के बारे में था। 36/2 और 36/3। हम इसे एक हानिरहित एम. ओ. एच. डी. महसूस करते हैं।

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई]

कंप्यूटर रिकॉर्डिंग में त्रुटि को बिना किसी वारंट के विवरण वाले पूरे दस्तावेज़ को बदनाम करने के लिए बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि राज्य के विद्वान वकील ने समझाया, कंप्यूटर ने पहली बार में, मोबाइल उपकरण के आई. एम. ई. आई. नंबर को रिकॉर्ड करने के बजाय, अभिदाता द्वारा कॉल/कॉल किए गए व्यक्ति की आई. एम. ई. आई. और सेल आई. डी. (स्थान) को रिकॉर्ड किया था। कंप्यूटर ने इस स्पष्ट त्रुटि को तुरंत ठीक कर दिया और सही विवरण दिखाने के लिए रिकॉर्ड को संशोधित किया। केवल अभिदाता का आई. एम. ई. आई. और सेल आई. डी.। दस्तावेज़ त्रुटि का स्व-व्याख्यात्मक है। 11 बजे कॉल के संदर्भ में दोनों कॉल रिकॉर्ड का अवलोकनः 19 : 14 9811489429 (अफजल) और 9811573506 (शौकत) के बीच आदान-प्रदान के घंटों से पता चलता है कि उक्त कॉल कॉल रिकॉर्ड में दो बार दर्ज की गई थी। तथ्य यह है कि एक ही कॉल को कॉलिंग और कॉल पार्टी के कॉल रिकॉर्ड में दो बार रिकॉर्ड किया गया है

साथ ही यह संदेह से परे प्रदर्शित करता है कि कॉल की शुद्धता या वास्तविकता संदेह से परे है। इसके अलावा, दो कॉल रिकॉर्ड के तुलनात्मक अवलोकन पर, सेल का विवरण

दोनों नंबरों की आई. डी. और आई. एम. ई. आई. भी दर्ज की जाती है। इस प्रकार, जैसा कि राज्य के वकील श्री गोपाल ने सही बताया है

सुब्रमण्यम, एक ही कॉल को दो बार रिकॉर्ड किया गया है, पहले

कॉलिंग नंबर के सेल आईडी और आई. एम. ई. आई. नंबर के साथ

(9811489429) . यही स्पष्टीकरण 11 बजे कॉल के लिए अच्छा हैः 32 : 40 घंटे। बचाव पक्ष के तर्क का समर्थन करने की जगह, उपरोक्त तथ्य, जो कॉल रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट हैं, स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि प्रणाली संतोषजनक रूप से काम कर रही थी और यह

तुरंत जाँच की और हुई गलती को ठीक किया। जैसा कि पहले से ही देखा गया है, यह सुझाव नहीं दिया गया था और न ही यह सुझाव दिया जा सकता था कि इन दो त्रुटियों के कारण कंप्यूटर में कोई हेरफेर या सामग्री की कमी थी। इन सबसे ऊपर, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्शित कॉल विवरण से संबंधित प्रिंटआउट इतनी नियमितता और निरंतरता के हैं कि यह अनुमान लगाना वैध होगा कि सिस्टम कार्यात्मक था और आउटपुट नियमित उपयोग में कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, चाहे यह तथ्य विशेष रूप से गवाह द्वारा बयान किया गया था या नहीं। इसलिए हम

यह विचार कि कॉल रिकॉर्ड स्वीकार्य और विश्वसनीय और सही हैं

अभियोजन पक्ष द्वारा उपयोग किया गया "।

18. अनवर पी. वी. 'मामले में इस अदालत के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने नवजोत संधू में लिए गए विचार को स्वीकार नहीं किया और कहा-[2022] 7 एस. सी. आर.

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा शासित। यह अपने आप में एक पूर्ण कोड है। स्पेशल होना कानून, धारा 63 और 65 के तहत सामान्य कानून को मान लेना पड़ता है।

21. राज्य में (एन. सी. टी. दिल्ली) v. नवजोत संधू, (2005) 11 एस. सी. सी. 600 और इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सबूत के रूप में पेश करने के मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला। सेलफोन से संबंधित कॉल के कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड के प्रिंटआउट पर विचार करते हुए, इसे पैरा 150 पर निम्नानुसार रखा गया थाः (एस. सी. सी पी. 714)

" 150. धारा 63 के अनुसार, "द्वितीयक साक्ष्य" का अर्थ है और इसमें अन्य बातों के अलावा, "मूल से बनाई गई प्रतियां" शामिल हैं।

यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो अपने आप में बीमा करती हैं

प्रतिलिपि की सटीकता, और ऐसी प्रतियों की तुलना में प्रतियाँ '। धारा 65 किसी दस्तावेज़ की सामग्री के द्वितीयक साक्ष्य को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है यदि मूल ऐसी प्रकृति का है जो आसानी से चल नहीं सकता है। यह विवाद में नहीं है कि कॉल रिकॉर्ड में निहित जानकारी विशाल सर्वरों में संग्रहीत की जाती है जो

आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने भी यही टिप्पणी की है [एड। : संदर्भ राज्य v का है। मोहम्मद. अफजल, (2003) 71 डी. आर. जे. 178] पैरा 276 पर।

इसलिए, कंप्यूटर/सर्वर से लिए गए प्रिंटआउट

यांत्रिक प्रक्रिया और एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा प्रमाणित

सेवा प्रदान करने वाली कंपनी को एक गवाह के माध्यम से साक्ष्य दिया जा सकता है जो प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर की पहचान कर सकता है या अन्यथा उसके व्यक्तिगत आधार पर तथ्यों की बात कर सकता है।

ज्ञान। अनुपालन के बावजूद धारा 65-बी की आवश्यकताएँ, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता से संबंधित एक प्रावधान है, साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों, अर्थात् धारा 63 और 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं है। यह हो सकता है कि धारा 65-बी की उप-धारा (4) में विवरण वाला प्रमाण पत्र तत्काल मामले में दायर नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, भले ही कानून ऐसे साक्ष्य की अनुमति देता हो।

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

[उदय उमेश ललित, सीजेआई]

संबंधित में उल्लिखित परिस्थितियों में दिया जाना है

प्रावधान, अर्थात् धारा 63 और 65 "।

यह देखा जा सकता है कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें एक जिम्मेदार अधिकारी ने प्रस्तुत करने के समय ही दस्तावेज़ को विधिवत प्रमाणित किया था। प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर की भी पहचान की गई थी। यह स्पष्ट रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में है। हालांकि, यह माना गया कि धारा 65-बी की आवश्यकताओं के अनुपालन के बावजूद, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता से संबंधित एक विशेष प्रावधान है, धाराओं के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं है

63 और 65, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का।

22. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित साक्ष्य, जैसा कि उल्लेख किया गया है इससे पहले, एक विशेष प्रावधान होने के नाते, सामान्य कानून

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के साथ पठित धारा 63 के तहत द्वितीयक साक्ष्य उसी को प्रस्तुत करेगा। जनरलिया स्पेशलिबस नॉन

अपमानजनक, विशेष कानून हमेशा सामान्य कानून पर हावी रहेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने धारा 59 और 65-ए पर ध्यान देना छोड़ दिया।

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की स्वीकार्यता से संबंधित। धारा 63

राज्य में इस न्यायालय द्वारा (एन. सी. टी. दिल्ली) v. नवजोत संधू, (2005) 11 एस. सी. सी. 600, सही कानूनी स्थिति नहीं बताते हैं। इसकी आवश्यकता है। खारिज किया जाना और हम ऐसा करते हैं। के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड

जब तक धारा 65-बी के तहत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक द्वितीयक साक्ष्य को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, सी. डी., वी. सी. डी., चिप आदि के मामले में, दस्तावेज़ लेने के समय प्राप्त धारा 65-बी के संदर्भ में प्रमाण पत्र के साथ होगा, जिसके बिना, संबंधित द्वितीयक साक्ष्य

उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए, अस्वीकार्य है।

19. टोमासो में ब्रूनो और एनर। वी. उत्तर प्रदेश राज्य 1 2, दूसरा

तीन न्यायाधीशों ने हालांकि थोड़ा अलग राग मारा और

निम्नलिखित टिप्पणियाँः

" 24. सूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, व्यक्ति में और संस्थागत स्तर पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्याप्त होने वाला है

5) 7 एससीसी 178।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जाँच के तरीके। बढ़ते प्रभाव के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में प्रौद्योगिकी और इसके परिणामस्वरूप, उत्पादन

अभियुक्त के अपराध या प्रतिवादी के दायित्व को स्थापित करने के लिए मामलों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रासंगिक हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों को भौतिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। वर्ष 2000 में साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के साथ, वृत्तचित्र से संबंधित धारा 65-ए और 65-बी को अध्याय 5 में शामिल किया गया। सबूत। धारा 65-ए में प्रावधान है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री को सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है यदि धारा 65-बी में दिए गए मानदंडों का पालन किया जाता है। साक्ष्य में कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक परीक्षण में स्वीकार्य हैं यदि तरीके से साबित होते हैं

उत्पादित ऑप्टिकल या चुंबकीय मीडिया में संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक कंप्यूटर द्वारा, निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन

धारा 65-ख की उप-धारा (2) में। साक्ष्य की धारा 65 के तहत दस्तावेज़ की सामग्री का द्वितीयक साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जा सकता है। एक्ट करें। पीडब्लू 13 ने कहा कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन उन्होंने केस डायरी में इसे रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि इसमें सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है।

20. सोनू उर्फ अमर बनाम। हरियाणा राज्य 1 3, दो की एक पीठ

एस ने फैसला सुनाया कि एक आपत्ति कि सी. डी. आर. को सबूत के तरीके या तरीके के अनुसार ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए और यदि परीक्षण में नहीं लिया जाता है, तो अपीलीय स्तर पर अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कहा गया थाः -

" 32. यह किसी का मामला नहीं है कि सी. डी. आर. जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एक रूप हैं, साक्ष्य में स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं। आपत्ति यह है कि उन्हें निचली अदालत के समक्ष धारा 65-बी (4) द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना चिह्नित किया गया था। ऊपर उल्लिखित निर्णयों से यह स्पष्ट है कि प्रमाण के तरीके या तरीके से संबंधित आपत्ति दस्तावेज़ को एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित करते समय उठाई जानी चाहिए, न कि बाद में। महत्वपूर्ण परीक्षण, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, यह है कि क्या दस्तावेज़ को चिह्नित करने के चरण में दोष को ठीक किया जा सकता था। इस परीक्षण को वर्तमान मामले में लागू करना, यदि

प्रमाण पत्र, न्यायालय अभियोजन पक्ष को दे सकता था कमी को दूर करने का अवसर। यह ऊपर से भी स्पष्ट है।

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई]

निर्णय कि दस्तावेजों की स्वीकार्यता के बारे में आपत्तियां जो स्वयं अस्वीकार्य हैं, अपीलीय स्तर पर भी ली जा सकती हैं। एक दस्तावेज़ की स्वीकार्यता जो स्वाभाविक रूप से अस्वीकार्य है

यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे अपीलीय स्तर पर उठाया जा सकता है क्योंकि यह एक मौलिक मुद्दा है। प्रमाण का तरीका या तरीका है

प्रक्रियात्मक और आपत्तियों को, यदि मुकदमे में नहीं लिया जाता है, तो अपीलीय स्तर पर अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि सबूत के तरीके पर आपत्तियों को किसी पक्ष द्वारा अपीलीय चरण में लेने की अनुमति दी जाती है, तो दूसरे पक्ष के पास सुधार करने का अवसर नहीं होता है

कमियाँ। राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील ने सीआरपीसी, 1973 की धारा 161 के तहत दिए गए बयानों को स्वाभाविक रूप से अस्वीकार्य साक्ष्य की उक्त श्रेणी के तहत आने वाले दस्तावेजों के उदाहरण के रूप में संदर्भित किया। सी. डी. आर. दस्तावेजों की उक्त श्रेणी में नहीं आते हैं। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि धारा 65-बी (4) में निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण सी. डी. आर. के अविश्वसनीय होने पर इस स्तर पर आपत्ति उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि आपत्ति निम्नलिखित से संबंधित है -

सबूत का तरीका या तरीका "।

21. बाद में, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ ने शफी अहमद बनाम. हिमाचल प्रदेश राज्य 1 4 निम्नलिखित रूप में मनाया गयाः

" 20. के सवाल पर आशंका व्यक्त की गई थी

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी (4) के तहत शर्तों की प्रयोज्यता इस प्रभाव के लिए कि यदि कोई बयान साक्ष्य में दिया गया था, संबंधित उपकरण के संचालन या प्रासंगिक गतिविधियों के प्रबंधन के संबंध में एक जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति से उक्त प्रावधान के संदर्भ में प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रासंगिक था और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो उस उपकरण की अभिरक्षा में नहीं था जिससे

इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ तैयार किया गया था, इस तरह के प्रमाण पत्र की आवश्यकता अनिवार्य नहीं हो सकती थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी प्रासंगिक साबित करने के लिए एक प्रक्रियात्मक प्रावधान था

स्वीकार्य साक्ष्य और उस पर कानून के पूरक होने का इरादा था

यह घोषणा करते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई भी जानकारी, जो उक्त प्रावधान के अंतर्गत आती है, एक दस्तावेज मानी जानी चाहिए और बिना किसी और सबूत के किसी भी कार्यवाही में स्वीकार्य होनी चाहिए।

मूल। इस प्रावधान को इसके अपमान में नहीं पढ़ा जा सका

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता पर मौजूदा कानून।

8) 2 एससीसी 801।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. हम कुछ निर्णयों के माध्यम से लिए गए हैं जो हो सकते हैं संदर्भित किया गया। राम सिंह बनाम। राम सिंह, 1985 पूरक एस. सी. सी. 611, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उक्त मुद्दे पर विचार किया। आर. वी. में अंग्रेजी निर्णय मकसूद अली, (1966) 1 क्यू. बी. 688) और आर. वी. रॉबसन, (1972)

1 डब्ल्यूएलआर 651 और अमेरिकी कानून जैसा कि अमेरिकी में उल्लेख किया गया है

न्यायशास्त्र 2 डी (खंड। 29) पी। 494 , अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था

प्रभाव कि साक्ष्य के कानून से इनकार करना गलत होगा

नई तकनीकों और नए उपकरणों द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ,

बशर्ते रिकॉर्डिंग की सटीकता साबित की जा सके। इस तरह

साक्ष्य पर हमेशा कुछ सावधानी के साथ विचार किया जाना चाहिए और

प्रत्येक मामले की सभी परिस्थितियों के आलोक में मूल्यांकन किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को उसकी प्रामाणिकता के बारे में न्यायालय द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपायों के अधीन स्वीकार्य माना गया था। टेप-रिकॉर्डिंग के मामले में, यह देखा गया कि वक्ता की आवाज की विधिवत पहचान की जानी चाहिए, बयान की सटीकता को रिकॉर्ड बनाने वाले द्वारा साबित करने की आवश्यकता थी, छेड़छाड़ की संभावना को खारिज करने की आवश्यकता थी। साक्ष्य के टुकड़े की विश्वसनीयता निश्चित रूप से तथ्यों में निर्धारित की जाने वाली बात है और

एक तथ्य स्थिति की परिस्थितियाँ। हालांकि, किसी भी तकनीकी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की सीमा स्वीकार्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है।

यदि वही प्रासंगिक था। " 22. इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है।

अर्जुन पंडितराव खोटकर 1 में एस कोर्ट जो एक पर प्रस्तुत किया गया था

शफी में टिप्पणियों के कारण एक बड़ी पीठ के लिएअम्माड 1 4। पीठ ने अर्जुन पंडितराव 1 0 में निष्कर्ष निकालाः -

73.1 . अनवर पी. वी. वी. पी. के. बशीर, (2014) 10 एस. सी. सी. 473, जैसा कि हमने ऊपर स्पष्ट किया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी पर इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून है। टोमासो ब्रूनो बनाम में निर्णय। उत्तर प्रदेश राज्य, (2015) 7 एस. सी. सी. 178, इनक्यूरियम के अनुसार, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है। इसके अलावा, शफी मोहम्मद बनाम में निर्णय। एच. पी. राज्य, (2018) 2 एस. सी. सी. 801 और 3-4-2018 के फैसले को शफी मोहम्मद के रूप में रिपोर्ट

किया गया। वी. एच. पी. राज्य, (2018) 5 एस. सी. सी. 311, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करते हैं और इसलिए खारिज कर दिए जाते हैं।

73.2 . ऊपर उल्लिखित स्पष्टीकरण यह है कि आवश्यक धारा 65-बी (4) के तहत प्रमाण पत्र अनावश्यक है यदि मूल

दस्तावेज़ स्वयं तैयार किया जाता है। यह एक एम. ओ. एच. डी. के मालिक द्वारा किया जा सकता है।

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई]

लैपटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर टैबलेट या यहां तक कि एक मोबाइल फोन,

गवाह बॉक्स में प्रवेश करना और यह साबित करना कि संबंधित उपकरण, जिस पर मूल जानकारी पहली बार संग्रहीत की जाती है, उसके स्वामित्व में है और/या उसके द्वारा संचालित है। ऐसे मामलों में जहां "कंप्यूटर" एक होता है

एक "कंप्यूटर प्रणाली" या "कंप्यूटर नेटवर्क" का हिस्सा और यह

भौतिक रूप से ऐसी प्रणाली या नेटवर्क लाना असंभव हो जाता है

अदालत को, तब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी प्रदान करने का एकमात्र साधन धारा 65 के अनुसार हो सकता है

बी (1), धारा 65-बी (4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ। अनवर पी. वी. सं. के पैरा 24 में अंतिम वाक्य। पी. के. बशीर (2014)

10 एस. सी. सी. 473 जो इस प्रकार है ". यदि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है

साक्ष्य की धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है

अधिनियम. "इस प्रकार स्पष्ट किया गया है; इसे" साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत "शब्दों के बिना पढ़ा जाना है। इस स्पष्टीकरण के साथ, अनवर पी. वी. बनाम के पैरा 24 में कहा गया है। पी. के. बशीर, (2014) 10 एस. सी. सी. 473 को फिर से देखने की आवश्यकता नहीं है।

73.3 . पैरा 64 (उपरोक्त) में जारी किए गए सामान्य निर्देशों का पालन उन न्यायालयों द्वारा किया जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित हैं, ताकि उनके संरक्षण और उचित स्तर पर प्रमाण पत्र का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। ये निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-सी के तहत नियमों और निर्देशों तक सभी कार्यवाहियों में लागू होंगे।

और डेटा प्रतिधारण शर्तों को अनुपालन के लिए तैयार किया जाता है

दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाता।

73.4 . सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रयोग में निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करके उपयुक्त नियम और निर्देश बनाए जाने चाहिए -

धारा 67-सी में, और प्रतिधारण के लिए उपयुक्त नियम भी तैयार करना।

अपराधों के मुकदमे में शामिल आंकड़ों का, उनका पृथक्करण, के नियम

मुकदमों और अपीलों की पूरी अवधि के लिए और भ्रष्टाचार से बचने के लिए मेटाडेटा के संरक्षण के संबंध में अभिरक्षा, मुद्रांकन और अभिलेख रखरखाव की श्रृंखला। इसी तरह, उचित नियम

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संरक्षण, पुनर्प्राप्ति और उत्पादन के लिए,

रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, उसे तैयार किया जाना चाहिए अप्रैल 2016 में "। अब यह तय किया जाना चाहिए कि इस निर्णय का अनवर पी. वी. में, जैसा कि अर्जुन पंडितराव 1 में स्पष्ट किया गया है, घोषित कानून है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ख।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. तत्काल मामले में निचली अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले, नवजोत संधू 1 1 का फैसला 4.8.2005 पर किया गया था। द.

उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के बाद के निर्णय क्रमशः 13.9.2007 और 10.8.2011 पर पारित किए गए थे, जिसमें मृत्युदंड की पुष्टि की गई थी। ये दोनों निर्णय अनवर पी. वी. में इस न्यायालय के निर्णय से पहले दिए गए थे जो 18.9.2014 पर दिया गया था। फैसलों विचारण न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय और यह न्यायालय इस प्रकार अनवर पी. वी. में निर्णय से बहुत पहले थे और अनिवार्य रूप से नवजोत संधू में निर्धारित कानून की पृष्ठभूमि में थे। यदि हम सोनू उर्फ अमर 1,3 में निर्णय के पैराग्राफ 32 में स्वीकार किए गए सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, तो मामला पूरी तरह से अलग आधार पर खड़ा हो सकता है। यही कारण है कि इस न्यायालय के कुछ फैसलों पर यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा रखा गया है कि मामले को उन मुद्दों पर फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है जिन पर विचार किया गया था।

उस समय प्रचलित कानून के अनुसार। हालाँकि, चूंकि तत्काल मामला मौत की सजा देने से संबंधित है, इसलिए इस पुनर्विचार याचिका पर अनवर पी. वी. 9 और अर्जुन पंडितराव मामले में इस अदालत द्वारा लिए गए फैसलों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए।

24. नतीजतन, हमें वर्तमान उद्देश्यों के लिए, सी. डी. आर. के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से बचना चाहिए जो बिना किसी सबूत के थे।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी (4) के तहत उपयुक्त प्रमाण पत्र।

25. यदि हम उन परिस्थितियों पर विचार करें जिन्हें इस न्यायालय द्वारा समीक्षाधीन निर्णय के पैराग्राफ 182 में निकाला गया था, तो क्रम संख्या में उल्लिखित परिस्थितियाँ। ' एच 'और' जे 'बेहद कमजोर हो जाते हैं क्योंकि पीडब्लू 39 और 41 द्वारा मोबाइल फोन पर प्राप्त कॉल का पता लगाया जाता है।

No.9811278510 केवल सी. डी. आर. के माध्यम से संभव था। इसलिए इन परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

26. हालाँकि, उक्त अनुच्छेद में बताई गई अन्य परिस्थितियाँ

182 साथ ही बाद के पैराग्राफ पूरी तरह से अप्रभावित रहते हैं। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 151,153,159,169 में कहा गया था और अंत में पैराग्राफ 183 और 184 में संक्षेपित किया गया था, धन की प्राप्ति और वितरण के मुद्दे पर निष्कर्ष और यह तथ्य कि पुलिस समीक्षा याचिकाकर्ता के कहने पर पैराग्राफ 184 में निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच सकती है, बहुत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं। महत्वपूर्ण परिस्थितियों में से एक पैराग्राफ 182 में परिस्थिति 'ओ' में संदर्भित विशेषता भी है जैसा कि ऊपर बताया गया है। निष्कर्ष में, इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि परिस्थितियों 'एच' और 'जे' को छोड़ने के बाद भी, जो सीधे तौर पर अभियोजन पक्ष, एम. ओ. एच. डी. द्वारा भरोसा किए गए सी. डी. आर. के लिए जिम्मेदार थे।

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

[उदय उमेश ललित, सीजेआई]

अभिलेख पर अन्य परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती हैं और इससे परे साबित होती हैं।

प्रश्नगत अपराध में पुनरीक्षण याचिकाकर्ता की संलिप्तता पर कोई संदेह।

27. अब हम समीक्षा याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए आधार (बी), (सी) और (डी) की ओर रुख करते हैं जैसा कि पैरा 12 में कहा गया है। मैदान 'बी' और 'सी' हैं

प्रकृति में विशुद्ध रूप से तथ्यात्मक। प्रकटीकरण कथन, वास्तव में, निम्न न्यायालयों और इस न्यायालय द्वारा साबित किया गया था। हमारे समीक्षा अधिकार क्षेत्र में, तथ्य के मुद्दों पर इस तरह के प्रकटीकरण कथन की स्वीकार्यता के संबंध में प्रश्नों में प्रवेश करना संभव नहीं होगा। इस प्रकटीकरण बयान ने पुलिस को जी-73, बाटला हाउस, नई दिल्ली में छिपने के लिए प्रेरित किया और जब पुलिस दल समीक्षा याचिकाकर्ता के साथ पहुंचा, तो पैराग्राफ 182 में परिस्थिति 'जी' में बताए अनुसार पुलिस दल पर गोलीबारी की गई। मुठभेड़ में अबू शामल उर्फ फैसल नामक संबंधित व्यक्ति के मारे जाने के बाद, कुछ आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद बरामद किए गए। द.

यह निवेदन कि गोला-बारूद की इस तरह की बरामदगी या अबू शामल की मुठभेड़ को समीक्षा याचिकाकर्ता के प्रकटीकरण बयान से जोड़ा नहीं जा सकता है, बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए हम 'बी' और 'सी' में लिए गए दोनों आधारों को अस्वीकार करते हैं जैसा कि पैरा 12 में उल्लिखित है।

28. हम अब संभावना के संबंध में अंतिम आधार पर मुड़ते हैं

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता का प्रतिशोध और पुनर्वास। इस मुद्दे पर, राज्य की अपनी लिखित प्रस्तुतियों में प्रतिक्रिया इस प्रकार हैः -

भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अधिनियम और उसके अनुसरण में हत्या करना। इस माननीय न्यायालय ने

यह विचार रखा गया कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले आतंकवादी कृत्यों से जुड़े ऐसे मामलों की पर्याप्त भरपाई केवल मौत की सजा देकर ही की जा सकती है

वाक्य। इस संबंध में संदर्भ दिल्ली राज्य में इस माननीय न्यायालय के फैसले के लिए तैयार किया गया है। नवजोत संधू (2005) 11 एस. सी. सी. 600 (संसद हमला मामला), जहाँ यह

आयोजित किया गया थाः

252. तत्काल मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सबसे उपयुक्त सजा मौत की सजा है। यही निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है अदालत। वर्तमान मामला, जिसका इतिहास में कोई समानांतर नहीं है [2022] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय गणराज्य, हमें स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करता है,

दुर्लभतम मामलों का एक दृश्य। उसी का विचार

प्रतिनिधि, संवैधानिक पदाधिकारी और अधिकारी भारत सरकार के साथ लड़ाई में शामिल होना और

सुरक्षा बल सबसे गंभीर आतंकवादी कृत्य है।

यह दुर्लभतम मामलों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

253. षड्यंत्रकारियों द्वारा परिकल्पित अपराध की गंभीरता

भारी हताहत होने की संभावना के साथ और

सरकार के कामकाज को अव्यवस्थित करना और साथ ही

भारत के लोगों के सामान्य जीवन को बाधित करना है

जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। द.

घटना, जिसके परिणामस्वरूप भारी जनहानि हुई थी, हिल गई थी पूरा राष्ट्र, और सामूहिक विवेक

समाज तभी संतुष्ट होगा जब मृत्युदंड दिया जाए।

अपराधी को दिया जाता है। एकता के लिए चुनौती, आतंकवादियों के इन कृत्यों द्वारा भारत की अखंडता और संप्रभुता

और षड्यंत्रकारियों को केवल देकर ही मुआवजा दिया जा सकता है

साबित होने वाले व्यक्ति को अधिकतम सजा

इस विश्वासघाती कृत्य में साजिशकर्ता। अपीलार्थी, जो है

एक आत्मसमर्पण करने वाला उग्रवादी और जो दोहराने पर आमादा था

समाज और उसका जीवन विलुप्त हो जाना चाहिए। तदनुसार, हम मौत की सजा को बरकरार रखते हैं।

(जोर दिया गया)

4. इसी तरह याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (2013) 13 एस. सी. सी. 1, यह माननीय न्यायालय सुनवाई करते हुए

दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को मृत्युदंड देने के साथ

"आतंकवाद" शब्द के व्यापक दायरे पर चर्चा की और कहा कि आतंकवाद का अपराध अपने आप में एक भयावह स्थिति थीः

" आतंकवाद "

809. "आतंकवाद" शब्द एक ऐसी अवधारणा है जो आम तौर पर

और व्यापक रूप से रोजमर्रा की भाषा में उपयोग किया जाता है और यह एम. ओ. एच. डी. से लिया गया है।

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई]

लैटिन शब्द "आतंक" जिसका अर्थ है तीव्र भय और उसके प्रति समर्पण की स्थिति। कोई विशेष रूप नहीं है

आतंक, इसलिए, सदस्यों के जीवन को खतरे में डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आम जनता के मन में आतंक पैदा करने के इरादे से किसी भी चीज़ को आतंकवादी कार्य और आतंकवाद की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। ब्लैक का कानून शब्दकोश आतंकवाद को इस प्रकार परिभाषित करता हैः

" आतंकवाद। डराने या घबराने के लिए हिंसा का उपयोग या धमकी, विशेष रूप से। राजनीतिक आचरण को प्रभावित करने के साधन के रूप में। (8टी. एड. एन., पी. 1512.)

810. आतंकवाद आज की दुनिया में एक वैश्विक घटना है और भारत आतंकवादी कृत्यों का सबसे अधिक शिकार होने वाले देशों में से एक है। राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आतंकवाद का उपयोग किए जाने का एक लंबा इतिहास रहा है। आतंकवाद के कृत्यों में वास्तविक हत्याओं, अपहरण, विमान अपहरण, बम के डर, कार बम, भवन विस्फोटों से लेकर खतरनाक सामग्री के डाक तक शामिल हो सकते हैं।

कंप्यूटर आधारित हमले और रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियारों का उपयोग-सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी)।

883.4 . आतंकवाद का अपराध अपने आप में बढ़ रहा है परिस्थिति के रूप में यह एक विशेष कलंक वहन करता है जिसके कारण

अमानवीय व्यवहार का जानबूझकर रूप जो यह दर्शाता है और

दर्द और पीड़ा की गंभीरता "

(जोर दिया गया)

5. मोहम्मद में। अजमल आमिर कसाब बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (2012) 9 एस. सी. सी. 1, इस माननीय न्यायालय ने मुंबई में आई. डी. 1 के आतंकवादी हमले के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए कहा कि मामले के तथ्य, सीमा पार की साजिश और पीड़ितों के दिलों में भय पैदा करने का इरादा, कि मौत की सजा की आवश्यकता थी। जबकि अदालत ने माना कि मृत्यु अपवाद होनी चाहिए,

इस माननीय न्यायालय ने कहा कि जब तक युद्ध छेड़ने जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड क़ानून की पुस्तकों में बना रहेगा, तब तक कुछ ऐसे मामले होंगे जहां इसे लागू करना उचित होगा। इस संबंध में, निम्नलिखित पर सम्मानपूर्वक ध्यान दिया जाता हैः

परिच्छेदः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

573. संक्षेप में, यह सीमा पार से आतंकवादी हमले का मामला है। इसकी विशालता अभूतपूर्व है। सभी तराजू पर। हमले के पीछे की साजिश उतनी ही गहरी और बड़ी थी जितनी कि यह दुष्चक्रपूर्ण थी। निष्पादन की तैयारी और प्रशिक्षण उतना ही गहन था जितना कि निष्पादन निर्दयी था। जीवन और संपत्ति के नुकसान के संदर्भ में, और इससे भी महत्वपूर्ण रूप से इसके दर्दनाक प्रभाव में, यह मामला अकेला है,

या गणतंत्र के जन्म के बाद से इस न्यायालय के समक्ष आना कम से कम दुर्लभतम मामलों में से सबसे दुर्लभतम है। इसलिए, इसे दुर्लभतम से दुर्लभतम सजा भी मिलनी चाहिए।

577. इस मामले को एक बार फिर बहुत सरलता से कहें तो

सजा के रूप में देश की मौत को माना गया है संवैधानिक रूप से वैध, हालांकि यह वास्तव में "दुर्लभतम मामलों में दिया जाना है जब वैकल्पिक विकल्प (आजीवन कारावास) निर्विवाद रूप से बंद कर दिया जाता है"। अब, लंबे समय तक

जैसा कि मृत्युदंड क़ानून की पुस्तक में बना हुआ है

"युद्ध छेड़ने" और हत्या सहित कुछ अपराधों के लिए सजा, यह तार्किक रूप से इस प्रकार है कि कुछ मामले होने चाहिए, चाहे वे कितने भी दुर्लभ हों या दस लाख में से एक, जो उस दंड को लागू करने की मांग करेगा। यह स्थिति होने के कारण हम यह देखने में विफल रहते हैं कि अपीलार्थी के मामले में नहीं तो किस मामले में मृत्युदंड दिया जाएगा। इस मामले में मृत्युदंड को रोकना यह स्पष्ट रूप से घोषित करने के बराबर होगा कि यह न्यायालय मृत्युदंड को विधिसम्मत दंड के रूप में अस्वीकार करता है, भले ही यह जारी है।

कानून की पुस्तक और संविधान द्वारा वैध ठहराया गया

इस न्यायालय की पीठें।

मृत्युदंड का आदेश दिया, और अपराध पर विचार किया, ई आपराधिक और क्या मामले को सबसे दुर्लभ कहा जा सकता हैई दुर्लभ।

1. इस माननीय न्यायालय ने सजा पर वर्तमान में समीक्षाधीन निर्णय में विस्तृत निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि वर्तमान मामला सभी तीन परीक्षणों को क्यों संतुष्ट करता है, जिसमें "सबसे दुर्लभ" भी शामिल है।

दुर्लभ "परीक्षण। सबसे पहले, इस माननीय न्यायालय ने पाया कि एच. डी. की प्रकृति है।

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई]अपराध, लाल किले पर हमला होने के नाते, भारत माता पर हमले से कम नहीं था, दूसरा, जहाँ तक

अपराधी की प्रकृति का संबंध था, कोई शमन नहीं

किसी भी प्रकार की परिस्थितियों को रिकॉर्ड में लाया गया था औरतीसरा, कि अपराध की प्रकृति, यह तथ्य कि यह भारत सरकार के सत्ता के आसन के प्रतीक पर एक सुनियोजित पूर्व-नियोजित हमला था, उच्चतम से कम नहीं है।

सजा। न्यायालय ने कहाः

" 213. यह, हमारी राय में, एक अनोखा मामला था जहाँ

लाल किला, हर किसी के लिए सर्वोच्च महत्व का स्थान

भारतीय दिल पर हमला किया गया था जहाँ तीन भारतीय सैनिक उन्होंने अपना जीवन खो दिया। यह गौरवशाली इतिहास वाला स्थान है।

प्रत्येक भारतीय के लिए महान सम्मान का स्थान जिसे हर भारतीय भावनात्मक रूप से जोड़ता है, और एक ऐसी जगह जहाँ से हमारे पहले प्रधानमंत्री ने 15-8-1947 पर अपना भाषण दिया था, जिस दिन भारत ने विदेशी शासन की बेड़ियों को तोड़ दिया और एक स्वतंत्र देश बन गया। तब से यह परंपरा रही है कि इस देश के प्रत्येक माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं।

हर 15 अगस्त को उस महान घटना को याद करने के लिए। यह

किले की कल्पना और निर्माण मुगल द्वारा किया गया था।

सम्राट शाहजहाँ जिन्हें शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है बिल्डर "। इसे पूरा होने में नौ साल लगे। यह वह जगह थी जहाँ शाहजहाँ पवित्र कुरान के पवित्र आयतों और हिंदू धर्मग्रंथों के मंत्रों के पाठ के बीच 18-4-1648 पर सिंहासन पर बैठे थे। महान ऐतिहासिक

इसके बाद स्मारक ने मुगलों की संख्या का शासन देखा।

अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय ने सिंहासन के ऊपर।

214. यह याद रखना चाहिए कि यह साम्राज्य के दौरान था बहादुर शाह जफर द्वितीय का प्रथम युद्ध

स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। लाल किला अंतिम बन गया

उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लक्ष्य जो मई 1857 के महीने में शुरू हुआ था। किले ने मुक्त हवा में सांस ली।

थोड़े समय के लिए। लेकिन अंत में महीने में

सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया था।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

किला केवल उन कई शानदार स्मारकों में से एक नहीं है जिन्हें मुगल सम्राटों ने बनाया था।

लगभग तीन शताब्दियों तक उनके शासनकाल के दौरान। यह केवल एक और जगह नहीं है जहाँ देश के भीतर और बाहर से लोग विशाल दीवारों की एक झलक पाने के लिए आते हैं जिन पर किला खड़ा है या यह उत्कृष्ट कारीगरी प्रदर्शित करता है। यह केवल राजधानी का एक पर्यटन स्थल नहीं है जो हर साल हजारों लोगों को उस समय के गौरव को देखने और आनंद लेने के लिए आकर्षित करता है। इसका महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह सदियों से इस देश में सत्ता का प्रतीक रहा है। यह मुगल और ब्रिटिश साम्राज्यों की सर्वोच्चता का प्रतीक है जैसा कि यह स्वतंत्रता के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य की संप्रभुता का प्रतीक है। यह एक राष्ट्रीय प्रतीक है जो देशवासियों के बीच राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाता है और उन्हें उन बलिदानों की याद दिलाता है जो

स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए बनाया था। 215. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध में किले के ब्रिटिश सेनाओं के हाथों गिर जाने और सत्ता के केंद्र को लाल किले से कलकत्ता और बाद में नई दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद भी पं. जवाहर लाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक "ट्रिस्ट विद डेस्टिनी" भाषण के बाद 1947 में लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। वह अद्वितीय घटना इस देश में ब्रिटिश शासन के अंत और एक के जन्म का प्रतीक थी

स्वतंत्र भारत। एक घटना जिसे पुनर्जीवित किया जाता है और फिर से अभिनय किया जाता है

1917 के बाद से हर सफल वर्ष, जब प्रत्येक

निवर्तमान प्रधानमंत्री ने इस महान और ऐतिहासिक किले की चोटी से देशवासियों को स्वतंत्रता के महत्व की याद दिलाते हुए राष्ट्र को संबोधित किया।

संरक्षण और संवैधानिक लोकतंत्र के मूल्य जो स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं

इस देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना।

216. इसलिए, एक प्रतीक पर हमला, जो राष्ट्रीय मानस में इतनी गहराई से बसा हुआ है, इस देश के लोगों के लिए इतनी प्यारी मेहनत से अर्जित स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के सार पर हमला था।

डी. ए. आर. आई. एफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई]

लाल किला जैसे प्रतीक पर हमला राष्ट्र की इच्छा और अपनी अखंडता और अखंडता को बनाए रखने के संकल्प पर हमला था।

हर कीमत पर संप्रभुता। यह न केवल स्मारक के अंदर तैनात सेना की बटालियनों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक चुनौती थी। यह इस देश द्वारा अपनाए गए धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक लोकतंत्र के ताने-बाने के लिए एक चुनौती थी और वह सब कुछ जो हमारे देशवासियों के लिए अच्छा और प्रिय है। यह भारत सरकार को भयभीत करने के उद्देश्य से किया गया एक स्पष्ट, निर्लज्ज और दुस्साहसिक कार्य था। यह दिखाने के लिए था कि दुश्मन दंड से मुक्ति के साथ पहुंच सकता है और एक के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सों को नष्ट कर सकता है यह संस्था हमारे देशवासियों को बहुत प्रिय है क्योंकि यह उनके लिए क्या मायने रखती है। यह बिना किसी कारण के नहीं है कि जो कोई भी दिल्ली आता है, उसे लाल किले की यात्रा करने की इच्छा होती है। यही कारण है कि यह जगह एक जगह बन गई है

भारतीयों के लिए सम्मान।

स्मारक। यह केवल लाल किले या उसमें तैनात सेना पर हमला नहीं था, यह इस महान राष्ट्र के आत्मसम्मान पर एक अहंकारी हमला था। यह विदेशी नागरिकों द्वारा इस महान राष्ट्र की संप्रभुता पर सवाल उठाने के लिए दिया गया एक सुविचारित अपमान था। इसलिए, यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला बन जाता है। यह कुछ और नहीं बल्कि कुछ विदेशी भाड़े के सैनिकों द्वारा एक अघोषित युद्ध था जैसे कि वर्तमान अपीलार्थी और साजिश में उसके दूसरे साथी अबू शामल और कुछ अन्य जो या तो मारे गए या भाग गए। इस तरह के लाने की साजिश में हमला करना और फिर हमले को संभव बनाने के लिए व्यवस्थित तरीके से अपनी नापाक गतिविधियों को अंजाम देना और कुछ नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने का प्रयास था। इसलिए, किसी अन्य मामले के कानून के संदर्भ के बिना भी, हम इस मामले को सबसे दुर्लभ मानते हैं।

दुर्लभ मामला।

.....

223. ..... पूरी बहस के दौरान विद्वान बचाव पक्ष के वकील ने इसे कम करने का कोई प्रयास नहीं किया।

परिस्थिति. वास्तव में, यह एक अनूठा मामला है जहां एक सबसे अधिक परेशान करने वाली स्थिति है कि यह विदेशियों द्वारा भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सीधा हमला था। इस प्रकार यह भारत माता पर हमला था।

यह इस तथ्य के अलावा है कि कम से कम तीन लोगों की जान चली गई थी। षड्यंत्रकारियों के लिए कोई जगह नहीं थी।

भारत। अपीलार्थी एक विदेशी नागरिक था और बिना किसी प्राधिकरण या औचित्य के भारत में प्रवेश किया था। यह इस तथ्य के अलावा है कि अपीलार्थी ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश को आगे बढ़ाने के लिए छल का अभ्यास करके और कई अन्य अपराधों को करके एक साजिश रची।

भारतीय सेना के सैनिकों पर बिना उकसावे के हमला करके हत्याएं। इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौत की सजा ही एकमात्र सजा थी।

इस मामले की विचित्र परिस्थिति "।

29. लिखित प्रस्तुतियों में उल्लिखित निर्णयों से पता चलता है कि जब एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए चुनौती होती है भारत में आतंकवाद के कृत्यों द्वारा, इस तरह के कृत्यों को सबसे भयावह परिस्थितियों के रूप में लिया जाता है। यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि मौत की सजा देने से पहले उत्तेजक कारकों और कम करने वाली परिस्थितियों के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वसंत संपत डुपारे बनाम महाराष्ट्र राज्य "में, एक मामले पर विचार करते हुए, जहां आई. पी. सी. की धारा 302,363,367,376 (2) (एफ) और 201 के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित अपराध में मौत की सजा सुनाई गई थी, इस अदालत ने कहा था कि गंभीर परिस्थितियां स्पष्ट रूप से अधिक थीं।

कम करने वाली परिस्थितियाँ। यह कहा गया थाः -

" 20. इस प्रकार यह अच्छी तरह से तय किया गया है, "अदालत दोनों पहलुओं (अर्थात्, उत्तेजक कारकों के साथ-साथ परिस्थितियों को कम करने) के संचयी प्रभाव पर विचार करेगी और अदालत के लिए सजा देने की नीति के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर निर्णय लेना बहुत उचित नहीं हो सकता है। एक वर्ग के संदर्भ में अन्य शीर्षों के तहत अन्य वर्गों की पूरी तरह से उपेक्षा करना और दोनों को संतुलित करना न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य है। इसके अलावा, "यह हमेशा पसंद किया जाता है कि अत्यधिक गणना करने का प्रयास करके न्यायिक विवेक को बाधित न किया जाए।

15 (2017) 6 एससीसी 631 एमओएचडी।

एआरआईएफ @ए. एस. एच. एफ. ए. क्यू. वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [उदय उमेश ललित, सी. जे. आई]

एक या दूसरे तरीके से; और यह कि दोनों पहलू, अर्थात्, उत्तेजक

और कम करने वाली परिस्थितियों को उनके संबंधित दिए जाने चाहिए

भार और यह कि न्यायालय को बीच संतुलन बनाना होगा दोनों और देखें कि न्याय का पैमाना/संतुलन किस तरफ झुकता है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अब हम वर्तमान पर विचार करते हैं।

21. अभिलेख पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि निर्णय के बाद वसंत संपत डुपारे बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (2015) 1 एससीसी

253 समीक्षा के तहत, याचिकाकर्ता ने स्नातक पूरा कर लिया है

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन द्वारा प्रस्तावित प्रारंभिक कार्यक्रम विश्वविद्यालय उन्हें स्नातक स्तर के अध्ययन की तैयारी करने में सक्षम बनाता है और

कि उन्होंने गांधी विचार परीक्षा भी पूरी कर ली है और

जनवरी में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया 2016. यह दावा किया जाता है कि याचिकाकर्ता का जेल रिकॉर्ड बिना है

कोई भी दोष। शर्तों के संबंध में मामला विवादित नहीं है

(1) , (2) , (5) , (6) और (7) जैसा कि बचन सिंह बनाम में निर्णय के पैरा 206 में कहा गया है। पंजाब राज्य, (1980) 2 एस. सी. सी. 684, लेकिन अब जो अनुमान लगाया जा रहा है वह यह है कि अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना है। हालांकि ये प्रयास आंशिक रूप से याचिकाकर्ता के फैसले के बाद वसंत संपत हैं

डुपारे वी। महाराष्ट्र राज्य, (2015) 1 एस. सी. सी. 253 समीक्षाधीन,

हमने यह देखने के लिए उस ओर से सामग्री पर विचार किया है कि क्या वे परिस्थितियाँ एक अलग दृष्टिकोण की गारंटी देती हैं। हमने चिंता जताई है।

अभिलेख पर सामग्री पर विचार करें लेकिन पता करें कि गंभीर परिस्थितियाँ, अर्थात्, अत्यधिक भ्रष्टता और बर्बरता

जिस तरीके से अपराध किया गया था और तथ्य यह है कि

पीड़ित चार साल की असहाय लड़की थी जो स्पष्ट रूप से उससे अधिक थी

कम करने वाली परिस्थितियों को अब रिकॉर्ड में लाया गया है। लेने के बाद

इस मामले का समग्र दृष्टिकोण, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, इस मामले में एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। इसलिए हम वसंत संपत के फैसले में लिए गए विचार की पुष्टि करते हैं।

डुपारे वी। महाराष्ट्र राज्य, (2015) 1 एस. सी. सी. 253 समीक्षाधीन

और वर्तमान पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दें।

30. तत्काल मामले पर वापस आते हुए, रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है

एच को याचिकाकर्ता के पक्ष में एक शमनकारी परिस्थिति माना जा सकता है। यह सुझाव कि प्रतिशोध पुनर्वास की संभावना है, किसी भी सामग्री से निर्मित और समर्थित नहीं है

तार। दूसरी ओर, गंभीर परिस्थितियाँ स्पष्ट हैं [2022] 7 एस. सी. आर.

अभिलेख से और विशेष रूप से यह तथ्य कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सीधा हमला हुआ था, पूरी तरह से उन कारकों से अधिक है जिन्हें अभिलेख पर कम करने वाली परिस्थितियों के रूप में भी ध्यान में रखा जा सकता है। प्रस्तुतिकरण इस प्रकार आगे बढ़ाया गया है

आधार (घ) किसी भी स्वीकृति के योग्य नहीं है और इसलिए, अस्वीकार कर दिया जाता है।

31. नतीजतन, हम तत्काल समीक्षा में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

याचिकाएँ, जो तदनुसार खारिज की जाती हैं।

पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

बिभूति भूषण बोस

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)